तृतीय माला, खंड 47, अंक 6
Third Series, Vol. XLVII, No. 6

गुरुवार, 11 नवम्बर, 1965/20 कार्तिक, 1887 (शक)
Thursday, November 11, 1965/Kartika 20, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक ६—गुरुवार, 11 नवम्बर, 1965/20 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 6—Thursday, November 11, 1965/Kartika 20, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
150	औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation .	453–455
151	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme .	455–457
153	विश्व बैंक के ऋण	World Bank Loans . . .	457–460
154	विज्ञापनों पर व्यय	Expenditure on Advertisements .	460–462
155	बम्बई में आयात-निर्यात करने वाली एक फर्म पर छापा	Raid on Import and Export Firm in Bombay . . .	463–464
157	राज्यों द्वारा भूमि के लगान में वृद्धि	Raising of Land Revenue by States	464–467
158	विदेशी व्यक्तियों द्वारा विनियोजन	Foreign Private Investment .	467–469
159	पूर्वी क्षेत्र के लिए संयुक्त बिजली ग्रिड	Common Power Grid for Eastern Zone	469–472

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
152	भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में अवैध रूप से बदलना	Illegal Exchange of Indian Money into foreign currency .	472
156	प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Defence Production . . .	472
160	ग्रामीण प्रायोगिक केन्द्र	Rural Pilot Centres . . .	473
161	बर्ड एण्ड कम्पनी	Bird & Company . .	473
163	अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की विदेश यात्रा	Visit Abroad by Officers and Non-Officials . . .	474
164	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गयी सहायता	Assistance sought by M.P. Government . . .	474
165	चौथे वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लिए सिफारिश किया गया सहायक अनुदान	Grant-in-aid Recommended by Fourth Finance Commission in M.P.	474
166	महंगाई भत्ता	Dearness Allowance . . .	475

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
167	तटवर्ती नगरों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना	Location of Public Sector Plants in Coastal Cities . .	475
168	विदेश के दौरों पर विदेशी मुद्रा का व्यय	Foreign Exchange Expenditure on Tours Abroad . . .	475–476
169	दिल्ली में खाद्य के विषाक्त होने की घटनायें	Food Poisoning Cases in Delhi .	476
170	भाखड़ा जलाशय में गाद का जमा हो जाना	Silting of Bhakra Reservoir .	476–477
171	कर्मचारियों का यात्रा-भत्ता	T.A. drawn by Officials . .	477
172	आवास कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी पूंजी	Private Capital for Housing Programme	478
173	तीसरी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन	Appraisal of Third Plan . .	478
174	25 लाख रुपये से अधिक व्यय वाली योजनायें	Schemes Involving Expenditure above Rs. 25 Lakhs . .	478
175	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का कर दायित्व	Tax Liability of Ex-Chief Minister of Orissa	478–479
176	पी० एल० 480	P.L. 480	479
177	आवास तथा निर्माण कार्यक्रम	Housing and Building Programme	479
178	"एड इंडिया कन्सार्टियम"	Aid India Consortium . .	479–480
179	1962 में नियुक्त की गई मित-व्ययता समिति	Economy Committee Appointed in 1962	480

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
394	सरकारी अधिकारियों की संख्या	Strength of Government Officers	480–481
395	विदेशी मुद्रा बैंकों में विदेशी कर्मचारियों के स्थान पर भारतीय कर्मचारियों की नियुक्तियां	Indianisation in Foreign Exchange Banks	481
396	सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन	Evaluation of Irrigation Projects	481–482
397	आन्ध्र प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी नियोजन	LIC Investment in Andhra Pradesh	482–483
398	कन्नानूर जिले में ज्वर	Fever in Cannanore District .	483
399	केरल में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Kerala	483–484
400	कैन्सर	Cancer	484
401	आपातकालीन चिकित्सा सहायता सेवा	Emergency Medical Aid Service . .	484
402	ग्रामीण जनशक्ति	Rural Manpower . . .	484–485
403	दिल्ली में दूषित पानी	Contaminated Water in Delhi .	485

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
404	ब्रिटिश चिकित्सा अधिनियम	British Medical Act . . .	485
405	भारतीय चिकित्सा परिषद्	Medical Council of India . .	485–486
406	मैसूर की वन तथा खनिज सम्पत्ति	Forest and Mineral Wealth of Mysore	486
407	दिल्ली में धोबियों के लिये मकान	Housing for Washermen in Delhi	486
408	आसाम में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Assam . .	486-487
409	पोषाहार कार्यक्रम	Nutrition Programme .	487
410	पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas . . .	488
411	भारत को विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance to India	488
412	मोनीभद्रा बांध परियोजना	Manibhadra Dam Project . .	488
413	बड़ी सिंचाई परियोजनायें	Major Irrigation Projects . .	488–489
414	पुनर्वास वित्त प्रशासन	Rehabilitation Finance Administration	489
415	बढ़ी हुई बैंक दर तथा पुराने जमा खाते और ऋण	Increased Bank Rate and Old Deposits and Loans . .	489–490
416	बरना और हलाली सिंचाई परियोजनायें	Barna and Halali Irrigation Projects	490
417	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के क्वार्टरों के लिये जल सम्भरण	Water Supply to Quarters in Ramakrishnapuran, New Delhi	490–491
418	क्षय-रोग टिकट विक्रय आन्दोलन	T.B. Seals Sale Campaign . .	491
419	दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking Water in Delhi	491
420	दो पैसे का नया सिक्का	New Two Paisa Coin . .	491
421	क्वार्टरों का अलाटमेंट	Allotment of Quarters . .	492
422	"पी" फार्म लेने पर प्रतिबन्ध	Restrictions in Getting 'P' Form	492–493
423	शिक्षा के क्षेत्र में जन-सहयोग	Public Cooperation in Education .	493
424	विलास वस्तुओं का आयात	Import of Luxury Goods . .	493
425	जैमैका में आयोजित राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन	Commonwealth Finance Ministers' Conference held in Jamaica	494
427	नागरिक सुरक्षा के लिये डाक्टर	Doctors for Civil Defence . .	494
428	लाजपत नगर, नई दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों के निवासी	Shanti-Dwellers in Lajpat Nagar, New Delhi	494
429	बिजली के पुराने "मैनों" का बदला जाना	Replacement of Old Electric Mains	495
430	केरल में फाइलेरिया	Filaria in Kerala . . .	495
431	पागलपन का आयुर्वेदिक उपचार	Ayurvedic Cure for Lunacy	496
432	ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता	Industrial Potential of Rural Areas	496
433	फरक्का बांध	Farakka Barrage . .	496

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
434	कमाई न करने वाली महिलाओं का बीमा	Insuring of Non-Earning Ladies .	497
435	अवैध गांजे का पकड़ा जाना	Seizure of Illicit 'Ganja' . .	497
436	सरकारी क्षेत्र के कार्यों के लिए मूल्यांकन समिति	Evaluation Committee for Public Sector Works . . .	497
437	गोदावरी पर धरण (बांध) का निर्माण	Construction of Dam on Godavari	497–498
438	उत्तर बिहार की पिछड़ी हुई स्थिति	Backwardness in North Bihar .	498
439	बाढ़ तथा सेम विषयक संयुक्त बोर्ड	Joint Board for Floods and Water-logging	498
440	ब्रिटेन में मुन्दड़ा की सम्पत्ति के बारे में जांच	Enquiry into Mudhra's Holdings in U.K.	498-499
441	राजस्थान नहर से पंजाब को पानी की सप्लाई	Water Supply to Punjab from Rajasthan Canal . . .	499
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
	(1) सीतामढ़ी के निकट रेलवे पुल पर दुर्घटना	(i) Accident on Railway bridge near Sitamarhi . .	
	श्री प्र. रं चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti	499
	डा. राम सुभगसिंह	Dr. Ram Subhag Singh .	499–501
	(2) अल्जीयर्स में होने वाले अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन का स्थगित किया जाना—	(ii) Postponement of Afro-Asian Conference in Algiers–	
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	503–504
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	504–507
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notice (Query)	501–503
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re : Motion for Adjournment (Query)	507–508
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	508–510
	रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) विधेयक	Railways (Employment of Members of the Armed Forces) Bill—	510
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	510–511
	श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	511
	श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi .	511–512
	श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta .	512–513
	श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal .	513
	डा० द० स० राजू	Dr. D. S. Raju . .	513–515

विषय	Subject	पृष्ठ Page
खण्ड 2 से 5 और 1—	Clauses 2 to 5 and 1—	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass as amended—	
डा० द० स० राजू	Dr. D. S. Raju	515–516
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta	515–516
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक —	Industrial Disputes (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री र० कि० मालवीय	Shri R. K. Malviya	517
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	518–519
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	519–520
श्री रंगा	Shri Ranga	520–521
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	521
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	521
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi	521–522
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta	523–524
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh	524–525
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	525
श्री वारियर	Shri Warrior	525–526
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi	526–527
श्री बिशन चन्द्र सेठ	Shri Bishan Chander Seth	527
श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	527
श्री रा० स० तिवारी	Shri R. S. Tiwary	527
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री वारियर	Shri Warrior	529
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta	529
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	530
श्री र० कि० मालवीय	Shri R. K. Malviya	530

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 11 नवम्बर, 1965/20 कार्तिक, 1887 (शक)
Thursday, November 11, 1965/Kartika 20, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक वित्त निगम

+

* **150. श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने अपनी ऋण-नीति की, विशेषकर प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि से, पुनः व्याख्या की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पुन-रीक्षित नीति की मुख्य बातें दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने का है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : संभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5122/65 ।]**

श्री दी० चं० शर्मा : औद्योगिक वित्त निगम द्वारा इस काम के आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मैं समझता हूं कि वह जो कुछ संसद चाहती थी वही कर रही है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह निगम ऋण भी देगा ?

श्री ब० रां० भगत : उसको सब से अधिक प्राथमिकता दी गई है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के पास विवरण नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने विवरण पढ़ लिया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह देखते हुए कि इस निगम द्वारा केवल तीन राज्यों को ही 50 प्रतिशत तक सहायता दी गई है, क्या सरकार उसको यह सलाह देगी कि वह अल्पविकसित राज्यों जैसे कि बिहार के विकास के कार्य को भी आरम्भ करे ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न को संसद में कई बार उठाया गया है । उसके सामने जो योजना होती है वह उसके अनुसार काम करता है और इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि सहायता देने से कितना लाभ होगा ; परन्तु वह राज्यवार वितरण को भी ध्यान में रखता है ।

Shri K. N. Tiwary : In the statement it is given that priority will be given to agriculture also. May I know the number of factories set up separately for the manufacture of power filters, tractors and pumping sets which are most important constituents of agriculture and the amount of money allocated for that ?

Shri B. R. Bhagat : I do not have this information.

Shri Yashpal Singh : Have Government given thought to the fact that the rural population can little benefited from the setting up of the corporation in the cities ? Do Government propose to do anything in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : Even the village will be converted into city if a factory is set up there.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार यह जानती है कि इस निगम से 50 लाख रु० की एक छोटी सी रकम उपलब्ध न होने के कारण पंजोर में हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाने के सहायक एकको का काम लगभग डेढ़ साल से रुका पड़ा है; यदि हां, सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय तो मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, परन्तु मैं इस विशिष्ट मामले की जांच करुंगा ।

श्री बासप्पा : कारण प्राप्त करने के लिये इस समय कुल कितनी राशि के आवेदन पत्र बाकी पड़े है और निगम के पास कितना पैसा उपलब्ध है ?

श्री ब० रा० भगत : निगम द्वारा अब तक 226 करोड़ रु० की सहायता मंजूर की गई है—156 करोड़ रु० तो दे दिये गये हैं और 117 करोड़ रुपये बाकी हैं । हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के अनुरोध पर हमने उसे 10 करोड़ रु० का एक और ऋण दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने लम्बि आवेदन पत्रों के बारे में पुछा है ।

Shri Madhu Limaye : In Punjab 20,000 big and small industrial units have been destroyed and in other border areas also this thing has happened. Will Industrial Finance Corporation provide necessary facilities to those units ?

Shri B. R. Bhagat : They consider the schemes that are received, but are not having sufficient resources.

श्रीमती सावित्री निगम : इन नई प्राथमिकताओं का क्या प्रभाव पड़ा हैं और नई प्राथमिकताओं के आधार पर कितने प्रतिशत आवेदनपत्रों को राशियां आवंटित की गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : नई प्राथिमिकताओं में प्रतिरक्षा को सब से ऊंचा स्थान दिया गया है और उनपर हाल ही में ज़ोर दिया गया है और इसका प्रभाव जानने में अभी कुछ समय लगेगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार औद्योगिक वित्त निगम को कुछ संयुक्त सम्बन्ध कम्पनियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के लिये कहेगी जिनके द्वारा सरकार लोगों को भूमि दिला कर खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहती थी ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं ।

Shri Tulsidas Jadhav : In the statement there is a mention regarding giving of cement for agriculture, but due to the lifting of control from cement it will not be available. What the Government is going to do with regard to this ?

Shri B. R. Bhagat : At the time of lifting the control all things were thought out. Cement will now be available.

परिवार नियोजन कार्यक्रम

+

*151. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री राम पुरे :
श्री कनकसवै :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाने पर ध्यान केन्द्रीयभूत करके परिवार नियोजन कार्यक्रम को ग्रामोन्मुख बनाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम गांवों तथा शहरों दोनों पर समान बल देकर चलाया जा रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दी० चं० शर्मा : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस समय कितने कितने परिवार नियोजन क्लिनिक काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशिला नायर) : ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 9000 और 1500 से 20000 तक शहरी क्षेत्रों में ।

श्री दी० चं० शर्मा : हमारे देश में गांवों की संख्या लाखों में है फिर इन 9,000 से क्या काम चलेगा ? चतुर्थ योजना के लिये कितने क्लिनिकों का लक्ष्य रखा गया है ?

डा० सुशिला नायर : देश में सामुदायिक खंडों में लगभग 5200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं । इनमें से प्रत्येक का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिये । इस समय लगभग 4200 केन्द्र हैं । प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 3 उपकेन्द्र रखने का हमारा लक्ष्य है । इस समय सभी केन्द्रो में उपकेन्द्र नहीं हैं । अब हमने उपकेन्द्रों के इस लक्ष्य को बढ़ा कर 6 कर दिया है और चतुर्थ योजना में इसके पूरे होने की आशा है । इस का अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक 10,000 व्यक्तियों अथवा 2,000 परिवारों के लिये एक उपकेन्द्र होगा जो परिवार नियोजन के संबंध में आवश्यक मंत्रणा और सहायता देगा ।

Shri Yashpal Singh : War can be won only by atomic weapons or Jawans, Government has already denounced the atomic weapons and if family planning is introduced for the Jawans how the battle is to be won ?

Mr. Speaker : Does the hon. Member want the babies who are born in the recent hostilities to fight ?

Shri Yashpal Singh : War is to go for indefinite time.

Shri Madhu Limaye : Have the Government directed the Members of Parliament, State Legislatures and Panchayats and Government servants to follow the family schemes and ask others also to do so ?

Dr. Sushila Nayar : I have myself written to the hon. Members and Government servants have also been advised in this connection.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Do the Government propose to discontinue the family planning scheme which is an obstruction in the way of a gallant generation ?

Dr. Sushila Nayar : This is a good scheme. It is not in the way of a brave generation. We want to avoid infant mortality.

Shrimati Jamuna Devi : Just now the Health Minister told that similar efforts are being made in rural and urban areas, the arrangement in rural areas is not as good as in urban areas, therefore what the hon. Minister has stated is not correct. There are no hospitals in rural areas. What efforts are being made to make the scheme a success ?

Dr. Sushila Nayar : We want to set a network of such centres. The workers there will carry out house to house propaganda. The staff in the primary health centres will also be augmented.

Shrimati Vimla Deshmukh : How much the Government would take in setting up such centres ?

Dr. Sushila Nayar : In the 4th Five Year Plan we propose to spread this programme far and wide.

Shri Onkarlal Berwa : All these health centres in villages have proved useless because of shortage of doctors. How do Government propose to meet this shortage ?

Dr. Sushila Nayar : There is the shortage of about 400-500 doctors. We want to send two doctors in every centre. For this purpose we are giving scholarships to the students.

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : क्या यह सच है कि परिवार नियोजन महिलाओं में अधिक लोकप्रिय है, यदि हां, तो पुरुषों में इसके लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ?

डा० सुशिला नायर : यह सच है कि महिलाओं में यह अधिक लोकप्रिय है। पनगेठित योजना में पुरुष कर्मचारियों भी रखने का विचार है ।

श्रीमती अकम्मा देवी : ग्रामीणक्षेत्रों में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है उनके बहुत से बच्चे हैं, अत: उनको बहुत प्रश्नों का सामना करना पड़ता हैं । इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

डा० सुशिला नायर : ऐसे कर्मचारी अपने व्यक्तिगत अनुभव से लोगों को बता सकते हैं कि बड़ा परिवार कितना हानिकारक होता है ।

Shri Vishram Prasad : Have the Government tried to ascertain why the poorer people have more children ?

Dr. Sushila Nayar : It is a fact that the poor and the uneducated have more children, that is why we are laying more stress on their education. Some surveys have disclosed that the size of the family was directly proportionate to the level of education, particularly of women.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that the scheme is being carried out among Hindus while Mohammedans are not participating ?

Mr. Speaker : They are persuading everybody. They are not compelling anybody.

Shri Sheo Narayan : Our country is of a religious mentality. Why an equal is not being spent on encouraging celibacy and good education ?

श्री दी० चं० शर्मा : इनके आठ बच्चे हैं ।

Shri Raghunath Singh : Is it a fact that family planning is not proving successful in Mohammedan areas and if so the measures being taken to make it a success there ?

Dr. Sushila Nayar : This is not correct that the acceptance or resistance to family planning is related to certain religions, but this is correct that the backward communities are having more resistance. Efforts are being made to extend this scheme to them through the persons in whom they put confidence.

विश्व बैंक के ऋण

+

*153. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री बासप्पा :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री कपूर सिंह :
श्री काजरोलकर :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान भारत-पाकिस्तान संघर्ष से उत्पन्न हुई स्थिति का विश्व बैंक तथा इससे सम्बद्ध दो संस्थाओं द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत को दिये जाने वाले ऋणों, उधार तथा सहायता के अन्य वचनों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इन पर कितना तथा किस रूप में बुरा प्रभाव पड़ा है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

श्री श्रीनारायण दास : इन निकायों द्वारा भारत को दिये गये वचनों के अतिरिक्त क्या सरकार ने नये ऋणों के लिये कहा है और यदि हां, तो इन निकायों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

श्री ब० रा० भगत : इस वर्ष के लिये विश्व बैंक की 10.5 करोड़ डालर के ऋण की प्रतिक्षा है और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता अभिकरण से 14.5 करोड़ डालर की । यही आधुनिकतम आंकड़े हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : यह देखते हुए कि ब्रिटेन और अमरीका ने भारत को आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया है, क्या सरकार परियोजनाओं को जारी रखने के लिये इन निकायों से ऋण प्राप्त करने के लिये नये प्रस्ताव रखेगी ?

श्री ब० रा० भगत : बैंक और आई० डी० ए० के अधिकारियों ने घोषणा की है कि वे वर्तमान ऋणों की रकम देना जारी रखेंगे और वे लम्बित आवेदनपत्रों पर भी सामान्य तरीके से विचार कर रहे हैं ।

श्री बासप्पा : क्या विश्व बैंक हमारी सार्थ संघ को सहायता दिलाने में सहायक सिद्ध हुआ है और यदि हां, तो ऋण का स्वरूप क्या है और क्या विश्व बैंक में हमारा कोई प्रतिनिधि है और यदि हां, तो उसका वहां क्या कार्य है ?

श्री ब० रा० भगत : तृतीय योजना के लिये बैंक ने काफी सहायता दिलाई थी; तृतीय योजना के लिये बैंक के अपने वायदे के अनुसार यह राशि 118.5 करोड़ डालर है। बैंक में हमारा पूरा प्रतिनिधित्व है; हम बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं ; अपने वित्त मंत्री निदेशकों के बोर्ड में हैं ; और हमारा एक कार्यपालक निदेशक है जो वहां पर स्थायी रूप से है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि सरकार को आई० डी० ए० से 10 करोड़ डालर का अपना एक ऋण नहीं मिल सका है क्यों कि अमरीका सरकार 3.9 करोड़ डालर का अनुदान देने के लिये राजी नहीं हुई जो कि विश्व बैंक के निर्देश पदों में से एक है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस अनुदान का विशेष रूप से पता नहीं है, परन्तु यह सच है कि कभी ऐसा हुआ था जिससे हमें दूसरे अनुदान को काम में लेने में कठिनाई हुई थी क्यों कि हमें संपूर्ण परियोजना का ख्याल रखना पड़ता है और उसके लिये प्रबन्ध करना पड़ता है ।

Shri Yashpal Singh : Has the World Bank fulfilled the promises, they had extended to the Government ? Whether the attention of the Government has been drawn to the fact that not even an inch of land is irrigated from Icchogil Canal and it has been constructed simply with the intention of fighting against India ? Whether the World Bank have taken any action in the matter ?

Mr. Speaker : Much had been said about Icchogil Canal, yesterday.

Shri B. R. Bhagat : The loans given and promises made by the World Bank have been fulfilled by them and they have also declared to fulfil them.

श्री कपूर सिंह : विश्व बैंक के प्रति करार के उपबन्धों को यदि हमारी ओर से पूरा न किया जाय तो क्या बैंक द्वारा हमें मिलने वाली ऋण सुविधाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

श्री ब० रा० भगत : हम ने किसी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं किया है ।

श्री कपूर सिंह : यदि हम ऐसा करें तो क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री काजरोलकर : विश्व बैंक के आर्थिक सहायता और ऋण संबंधी निर्णयों पर भारत-सहायता सार्थ संघ के देशों का कहां तक प्रभाव पड़ता है अथवा ये निर्णय इस प्रभाव से कहां तक स्वतंत्र होते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : विश्व बैंक ने इस सार्थ-संघ का जिस सीमातक गठन किया है और वे ही इसके संयोजक हैं, इसलिये दोनों पर एक दूसरे का पारस्परिक प्रभाव होता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि प्रगतिशील देशों के प्रतिनिधियों में सामान्य रूप से यह भावना पाई जाति है कि विश्व बैंक द्वारा वसुल किये जाने वाली सेवा प्रभार दरें और व्याज की दरें बहुत अधिक हैं, यदि हां, तो भारत का इस बारे में क्या मत है ? इस वर्ष विश्व बैंक ने कितना लाभ कमाया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सारी सुचना वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई है । यह ठीक है कि प्रगतिशील देशों के प्रतिनिधि प्रति वर्ष यही भावना व्यक्त करते हैं, और यही कारण है कि विश्व बैंक की सहायक संस्था "अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार" बनाई गई थी जो कम व्याज पर लम्बी अवधि के ऋणों की व्यवस्था करती है ? परन्तु विश्व बैंक की कठिनाई यह है कि वह धन विश्व पूंजी बाजार से प्राप्त करता है और वही ऋण पर ब्याज की दर का निर्धारण करता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : विश्व बैंक को कुल कितना लाभ हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि यह रिपोर्ट में दिया गया है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या विश्व बैंक स्थित भारत के स्थायी निदेशक को यह जांच करने का निदेश दिया गया है कि क्या भारत-पाक संबंधों के कारण लगी हुई रोक के परिणामस्वरुप अमरीका तथा अन्य राष्ट्र मंडलीय देशों ने सिन्धु विकास निधि में अपना अपना योगदान देना स्थगित कर दिया है ?

श्री ब० रा० भगत : इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है । तथापि यदि माननीय सदस्य इसकी जानकारी चाहते हैं तो पूर्व सुचना दें ।

अध्यक्ष महोदय : कल हमने इस पर चर्चा की थी ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने हमारे स्थायी निदेशक को यह जांच करने के निदेश जारी किये हैं कि क्या अमरीका और अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों ने सिन्धु विकास निधि में अपना अंशदान देना इसलिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि भारत-पाकिस्तान व्यापार पर रोक लगा दी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : यह बैंक का काम नहीं है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या वे पुछ-ताछ करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति । यह सब कुछ कल बताया जा चुका है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : इस तथ्य की दृष्टि से, कि जापान, पश्चिम जर्मनी, कनाडा और अमरीका ने हमें ऋण देना बन्द कर रखा है और चूंकि वे भारत-सहायता क्लब के सदस्य हैं जो विश्व बैंक के तत्वावधान से बना है, सरकार विश्व बैंक को यह बताने के लिये, कि वे देश भारत को सहायता देने के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : वे इन सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं । अमरीका को छोड़कर जहां तक अन्य देशों का संबंध है, उन्हों ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वे ऋण नहीं देंगे । परन्तु जहां तक अमरीका का संबंध है, उन्होंने कहा है कि वे भविष्य में इस सहायता पर विचार अपनी 'कांग्रेस' के सदस्यों की राय से करेंगे ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : जापान तथा पश्चिमी जर्मनी की क्या स्थिति है ।

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है ।

Shri Rameshwaranand : Whether the World Bank ascertains as to whether the loan granted for a specific purpose is utilised for the same purpose or not ? If so, whether they have ascertained as to whether Ichhogil canal is being utilised for irrigation purposes by Pakistan or not, as Pakistan had been given loan by the Bank for the construction of that canal ? If so, whether the Bank have furnished such information to the hon. Minister or whether he has asked for any such information from them ?

Shri B. R. Bhagat : This loan is to be granted to India by the World Bank and it is not that loan which is given to Pakistan by the Bank.

Mr. Speaker : His first question is whether the World Bank sees that the utilisation of the loan is on the same project for which it is sanctioned.

Shri B. R. Bhagat : Yes Sir. As far as India is concerned the Bank sees to it.

Shri Rameshwaranand : Whether Pakistan has constructed the Ichhogil canal with that money or not ? About this also I had.....

Mr. Speaker : Ichhogil Canal has been discussed yesterday.

Shri Rameshwaranand : This is connected with my question. Just as the Bank keeps a watch in the development work undertaken here, does it see in the same manner the work connected with Ichhogil Canal ?

Mr. Speaker : Reply has been given yesterday.

Shri Rameshwaranand : I want to know whether they look into the expenditure of the money for construction of Ichhogil Canal.

Mr. Speaker : It was replied yesterday.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या विश्व बैंक को हमारी चौथी योजना की परियोजनाओं के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता के बारे में बता दिया गया है ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री ब० रा० भगत : अभी नहीं, श्रीमन् ।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या पिछले अनुभव से पता चलता है कि विश्व बैंक में सरकारी संस्थाओं अथवा निगमों के विरुद्ध विचारधारा संबंधी पक्षपात है ? यदि हां, तो इस स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है ?

श्री ब० रा० भगत : इससे कोई हानि नहीं हुई है । संभव है उनके मन में ऐसा हो, परन्तु इससे ऐसी परियोजनाओं की सहायता में कोई बाधा नहीं हुई ।

विज्ञापनों पर व्यय

+

*154. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञापनों, यात्रा तथा अतिथि-गृहों पर होने वाले कर मुक्त व्यय की सीमा निर्धारित करने के नियमों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय मेउप मंत्री (श्री रामेश्वर शाहू) : (क) और (ख) : जी, नहीं, विज्ञापन, यात्रा और अतिथि-गृहों पर किये गये व्यय की छूट से सम्बन्धित नियमों के मसौदे को, जनता की राय जानने के लिये, 27 अगस्त 1965 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इन नियमों पर टिप्पणियों आने की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर 1965 थी। प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जा रहा है। नियमों के मसौदे की एक प्रति सभा के मेज पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5123/65।]**

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या विभिन्न अभिकरणों को दिये जाने वाले विज्ञापनों पर लगाये जाने वाले प्रस्तावित प्रतिबन्ध संविधान के अनुच्छेद 19(छ) के अन्तर्गत दिये गये मूल अधिकारों का हनन नहीं करते है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस विधान की संवैधानिक वैधता पर विचार किये जाने के लिये इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को सौपने का विचार कर रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जी नहीं, यह विधान मूल अधिकारों का हनन नहीं करता।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार इस के द्वारा हानि उठाने वाले निर्धारितियों को राहत देने का विचार करेगी, जैसे कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत उन लोगों के लिये किया गया था जिनका व्यापार नष्ट हो गया है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं हम कोई ऐसी राहत देने का विचार नहीं कर रहे।

Shri Madhu Limaye : First of all I want to raise a point of order. We have received this statement only 15 minute before the question hour. You can very well realise how can we go through those six pages only in fifteen minutes in order to put question thereon.

Mr. Speaker : There can not be any point of order in this. Statement has been given along with it and it can be had at that time only.

Shri Madhu Limaye : How so ever intelligent a person might be, you can yourself see, what time he will require to read it.

Mr. Speaker : At present, I can say only this much that the usual practice is to make available statements along with questions.

Shri Madhu Limaye : Certain pharmaceutical companies, which manufacture worthless medicines, declare their manufactures through advertisements to be the sure remedies for certain diseases. I want to know whether any restriction would be imposed on advertisement of such medicines and if under the present law it is not possible, whether heavy tax would be impcsed on them ?

Mr. Speaker : This is absolutely a separate question. Here the question is about putting restrictions on those Companies which spend excessive on advertisement so that the whole expenditure thereon may not be tax-free, but to say that worthless medicines should not be advertised or they should pay heavy taxes thereon, is not possible.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the expenditure involved on foreign propaganda every year by way of advertisements ?

Mr. Speaker : This is not relevant to this question.

Shri Yashpal Singh : The amount being spent on advertisement of Panama Cigarettes and use of tobacco in our rest houses is against our religion as also our culture. I, therefore, want to know whether the Government propose to restrict this, so that no rest House or any such place should have such advertisements ?

Mr. Speaker : The question is what types of advertisements should be allowed by the taxation authorities and what not. This question does not pertain to advertisements in general.

Shri Yashpal Singh : A lot of money is being spent on advertisements.

Mr. Speaker : That is a separate question. It cannot be taken up at this moment.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विज्ञापनों पर किये जाने वाले व्यय को छोड़कर क्या विज्ञापनों द्वारा लिये जाने वाले स्थान को सिमित करने का भी कोई प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : विवरण में इसका भी वर्णन है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं ऐसा नहीं समझता। समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा लिये जाने वाले स्थान का कोई वर्णन नहीं है जो अधिकाधिक.....

अध्यक्ष महोदय : विवरण में कहीं 'आधे पृष्ठ' आदि का वर्णन है तो सही ।

श्री ब० रा० भगत : ऐसा कुछ बताया गया है ।

Shri Indrajit Gupta : You know that, but the hon. Minister does not.

Shri Madhu Limaye : Sir, I again request you to take it up at some other time as the statement is lengthy.

Mr. Speaker : I have been able to go through it just now.

Shri B. R. Bhagat : This was published in the Gazette of India, extra-ordinary dated the 28th.

Mr. Speaker : Since you are going through it just now that is why Shri Limaye objects to it. You should have read it before coming here.

Shri Kashi Ram Gupta : Whether the rules being framed would be uniformly applicable to a private firms, registered firms,Cooperative Societies limited firms and whether the expenditure on advertising would be uniform or it would depend on their financial position ?

Shri B. R. Bhagat : The rules would be applicable to all the companies as well as private firms which resort to advertising.

बम्बई में आयात निर्यात करने वाली एक फर्म पर छापा

*155. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री बम्बई में आयात-निर्यात करने वाली एक फर्म पर मारे गये छापे के सबम्न्ध में 16 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर शाहू) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस मामले में हो रहे असाधारण विलम्ब की ओर दिलाना चाहता हूं जैसा कि उससे पूर्व दिये गये उत्तर में बताया गया है छापा फरवरी में मारा गया था परन्तु अब नवम्बर चल रहा है और जांच अभी तक पूर्ण नहीं हुई । मैं फर्म का नाम जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रर्वतन निर्देशालय द्वारा इस जांच को पूरा कर लेने की कोई अवधि सीमा निर्धारित की गई है, 2 वर्ष, 3 वर्ष आदि ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्रीमन् यदि माननीय सदस्य फर्म का नाम जानना चाहते हैं तो मैं बताने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नाम पूछा है, उत्तर देना मंत्री महोदय का काम है ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु हमारी परम्परा यही है कि जब तक जाँच पूर्ण न हो जाय, हम नाम प्रकट नहीं करते, परन्तु यदि आप की अनुमति हो तो मैं नाम बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री ब० रा० भगत : फर्म का नाम है : मैसर्ज़ इण्डियन ओवरसीज़ ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई–3 । मैं उक्त निदेशालय से कहूंगा कि वे यथा शीघ्र जांच पूरी करें ।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि इसे पूरा करने के लिये क्या कोई अवधि सीमा रखी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं, इसके लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इन समाचारों में कोई तथ्य है कि यह फर्म कांग्रेस दल के बहुत से कृपा पात्रों में से एक थी और उसी कारण सरकार का मुह बन्द है और मन कुछ करने नहीं देता ?

श्री ब० रा० भगत : यह कहना बहुत ही अनुचित है । यह सर्वथा झूट है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, क्या अनुचित है ? इस फर्म ने कांग्रेस दल को दो लाख रुपये दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु वे तो इन्कार कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : अनुचित क्या है श्रीमन् ?

श्री ब० रा० भगत : आरोप अनुचित है ।

श्री हरि विष्णु कामत : उनको कुछ पता भी है ? यदि नहीं, तो वह इसे अनुचित नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका खण्डन किया है और कहा है कि यह सच नहीं है ।

अगला प्रश्न ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं पुनः इस प्रश्न को उठाउंगा ।

राज्यों द्वारा भूमि के लगान में वृद्धि

+

*157. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० कें० देव :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री दे० द० पूरी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि वे भूमि के लगान को बढायें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके लिए कोई अधिकतम सीमा सुझाई गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि योजना के लिए अतिरिक्त साधन बनाने के लिए भूमि लगान की दरोंमें वृद्धि की जाय ।

(ग) जी, नहीं ।

Shri Yashpal Singh : At present, when the farmer is making the greatest sacrifice to the country, and his sons are giving their blood, have the Government considered that increase in the land revenue even by one paisa would be doing the greatest injustice to him ?

Shri B. R. Bhagat : Today, when the contribution of each one of us is required for the defence and progress of the country be he a farmer or a businessman or engaged in any other work, everyone shall have to make sacrifices.

Shri Yashpal Singh : I meant to say that the rich are neither giving money nor blood. Unless they have not given their full contribution, it would be against socialism and unfair for the State Government to increase land revenue like this and realise it by force. In these circumstances, will Government issue instruction keep this matter at a standstill position.

Shri B. R. Bhagat : The increase in agricultural production and their prices has gone to show that income in villages has increased.....

Shri Rameswaranand : What about the expenditure ?

Shri B. R. Bhaga : The income from villages by way of land revenue is nearly 2 % of the whole rural income and it has been estimated that this increase will not have any great effect on them.

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि इस वृद्धि का वास्तविक उद्देश्य भूमि के निजी स्वामित्व को समाप्त करना और भू-स्वामियों को केवल अनाज उगाने वाले कार्मिकों बना देना है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं । यह सच नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : योजना आयोग ने क्या सूचक-रेखायें सुझाओ है । क्या उनका सुझाव राजस्व-उगाही को दर्जावार बनाने का है ताकि उस भूमि को मुक्त किया जा सके जिससे कोई लाभ नहीं होता ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग का सुझाव यह है कि पहली पांच एकड़ भूमि को छोड़ कर अधिक पर लगान बढ़ाया जाए ।

Shri K. N. Tiwari : Whether Planning Commission is aware of this fact that in respect of persons in those states where this has been permanently settled and old arrangements exists the land revenue is very much less. Whereas those persons for whom arrangements were made later, the land revenue is very much enhanced ? Whether the states coming under permanent settlement where the land revenue is very much less and the land is productive, have been suggested to increase the land revenue and where this has been fixed later, not to further increase the land revenue ?

Shri B. R. Bhagat : These are matters of detail and these are under the State Government. It is upto them to consider these matters and do whatever they deem proper.

Shri K. N. Tiwari : I wanted to say that . . . .

Mr. Speaker : The suggestion given by the Member has been noted by the hon. Minister and he will consider it.

श्री रंगा : इस तथ्य को देखते हुए कि आंध्र के उच्च न्यायालय ने 'एडीशनल रेवेन्यू असेसमेन्ट एक्ट' का असांविधानिक घोषित कर दिया है क्यों कि भू-राजस्व को 100,150 और कहीं 200 प्रतिशत तक भी बढ़ा दिया गया है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रधान मंत्री ने जल की दरों तथा जल जर कर कों हटा देने का इस सरकार तथा मंत्री महोदय का सुझाव दिया था क्या सरकारने कृषको पर जो वे किसी दूसरे की तरह दूसरे कर देते हैं जिस में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और राज्य उत्पादन शुल्क भी शामिल हैं के अतिरिक भू-राजस्व लगाये जाने के अन्याय पर विचार किया है ?

श्री ब० रा० भगत : वर्तमान संदर्भ मे विकास और प्रतिरक्षा के लिये मांग बढ़ रही है इस लिये योजना आयोग ने राज्यों को अधिक साधन जुटाने की आवश्कयता का परामर्श दिया था ।

श्री रंगा : और अपव्यय के लिये !

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने सिंचाई की दरें, विक्रय कर और दूसरी चीजों का सुझाव दिया है । भू-राजस्व भी एक तरीका है । इन पर राज्य सरकारों ने अपनें राज्यों में विद्यामान परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना है ।

श्री रंगा : और प्रधान मन्त्री के परामर्श का कुछ नहीं हुआ । यह केवल एक नारा है ।

श्री ब० रा० भगत : यह एक सुझाव है ।

श्री नाथ पाई : क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को भू-राजस्व के बढ़ाने की सिफारिश करने मे पूर्व इस तथ्य का अध्ययन किया था कि भारत में कुल 100 करोड़ रुपय भू-राजस्व से एकत्र किये

जाते हैं और कि यह राष्ट्र की आय में बिल्कुल ही अपर्याप्त हैं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने भू-राजस्व के उन्मूलन और इस के स्थान पर कृषि-कर लगाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री ब० रा० भगत : दूसरे सुझावों के साथ इन पर भी विचार किया गया था । इस संदर्भ में चाहे किसी भी रुप में कृषि आय-कर को क्यों न लागू किया जाये यह भू-राजस्व की हानि को पूरा नहीं कर सकेगा इस से अच्छा एक सुझाव यह था कि खाद्यान्नों का सरकार व्यापार करे और भू-राजस्व की हानि को इस व्यापार के लाभ से पूरा किया जाये । ये कुछ सुझाव हैं जिन पर विचार किया गया था ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the attention of the Government is drawn to the proposal submitted by seven parties including Socialists, Republican, Communist etc., wherein they deemanded that land revenue should be abolished from the petty farmers and arrangement should be made for free irrigation of land ?

Shri B. R. Bhagat : Have you read in the newspaper ?

Shri Madhu Limye : Whether you have received the proposal or not ? Please let me know.

Mr. Speaker : Whether they have sent you anything ?

Shri B. R. Bhagat : I do have read something in the newspapers in this regard. As I have said, the Planning Commission has advised the State Governments after taking into consideration all these things and it is for the State Governments to act upon it according to the conditions prevailing in their States.

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether any of the State Governments have objected to it, and if so, what are they ?

Shri B. R. Bhagat : The State Governments of U.P., Madras and West Bengal have accepted it. The Government of Uttar Pradesh have even introduced it. The Chief Minister of Madras has said that they are going to introduce it. West Bengal has also accepted it. Two State Governments like Madhya Pradesh have indicated some difficulty in introducing it.

Shri Onkar Lal Berwa : Whether the Government of Rajasthan has accepted it or not ?

Shri B. R. Bhagat : No information has been received from Rajasthan so far.

Shri D. N. Tiwary : Whether the Government is aware that two or three years back a proposal was approved by the Governments of U.P. and Bihar to increase the land revenue but ultimately that proposal had to be dropped after taking into consideration the condition of the people there ? May I know how the Planning Commission or Government are in a position is consider the usefulness of increase in the land revenue ?

Shri B. R. Bhagat : Recently in Calcutta this matter was discussed by the Finance Minister and Deputy Chairman of Planning Commission with the Chief Ministers of Bengal, Bihar and Orissa and they had agreed to introduce it. As far as Bihar is concerned unless they find out the resources, they would not be able to plan properly for the next year. Keeping in view all these factors, there is a need for them to raise more resources ?

Shri A. S. Saigal : The farmers have to pay for the fertilizers, water and Panchayat taxes and keeping in view all this expenditure whether Government will still advise the Planning Commission to increase the land revenue ?

Shri B. R. Bhagat : I have already said that they have been advised only after taking into consideration all these things.

श्री मुथिया : क्या राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि जिन कृषकों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उन पर भू-राजस्व को न बढ़ाया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग के मूल प्रस्ताव में अधिकार के बारे में यह सलाह दी गई है ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को भू-राजस्व के बढ़ाने की प्रार्थना करते समय इन को खाद्य फसलों की खेती की भूमि और नक़दी फसलों की खेती की भूमि में प्रभेद करने को भी कहा है और कृष्ट भूमि की विशेष प्रतिशत को खाद्य फसलों की खेती के लिये रखने को कहा है ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग ने जिस योजना का सुझाव दिया था उस में एक दरजादार पैमान विहित किया है जिस के अनुसार पहले पांच एकड़ भमि के लिये अधिभार की छूट दी गई थी। व्यापारिक फसलों के लिये उन्होंने एक विशेष अधिभार लगाये जाने का सुझाव दिया है ।

विदेशी व्यक्तियों द्वारा विनियोजन

* 158. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामपूरे :
श्री कनकसबै :
श्री मुहम्मद कोया :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सचिव ने अपनी न्यूयार्क यात्रा के दौरान अधिक गैर-सरकारी विनियोजन की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख): न्यूयार्क की बैठकों में भाग लेते हुए, वित्त सचिव ने भारत में विदेशी निवेशों के कुछ पहलुओं का ही स्पष्टीकरण किया था । आशा है कि उन स्पष्टीकरणों से, उपयुक्त मामलों में, इस देश में, और अधिक गैरसरकारी विदेशी पूंजी लगाये जाने के लिए रास्ता साफ हो जायगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या प्रत्येक मामले के प्रस्तावों की जांच के लिये कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो इन प्रस्तावों को मंजूर करने की क्या कसौटी है ।

श्री ब० रा० भगत : इस बारे में नीति को सभा में बता दिया गया है । विश्व बैंक में प्रत्येक मामले पर विचार नही किया जाता है । परन्तु लाभ इसी में है कि हम निर्यात को बढ़ाये और जहां आवश्यक हो विकास के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करें । जहां गैर-सरकारी विनिधान योगदान दे सकता है वहां पर हम इस को प्राप्त करते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या विदेशी विनिधान के वर्तमान प्रवृत्ति से ऐसे संकेत मिलते हैं कि भारत के आर्थिक भविष्य में विनिधान लगाने वाले गैर सरकारी लोग अधिक योग देंगे ।

श्री० ब० रा० भगत : वर्तमान प्रवृत्ति से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है । परन्तु मुझे आशा है कि यदि कुछ दूसरे क्षेत्रों में विदेशी विनियोजन प्राप्त होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : अमरीका ने किसी आश्वासन के स्थान वित्त मंत्री को पाकिस्तान के साथ काश्मीर के बारे में नर्म नीति अपनाने का सुझाव दिया गया था । यदि हां, तो क्या अमरीका से गैर-सरकारी विनिधान की उतनी ही कम प्रत्याशा है जितनी की सरकारी विनिधान की ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक राजनैतिक बातों का सम्बन्ध है ऐसा हो सकता है ।

डा० रानेन सेन : जब श्री बुथलिंगम अमरीका गये थे तो उन्होंने न्यूयार्क के विभिन्न उद्योगपति और पूंजीपतियों से बातचीत की थी । क्या यह सच है कि अधिकतर उद्योगपति, और पूंजी लगाने वालों ने वित्त सचिव श्री बुथलिंगम को भारत सरकार को यह कहने को कहा था कि भारत सरकार गैर-सरकारी विनिधान के बारे में अपनी नीति को बदले ताकि भारत में सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर-सरकारी विनिधान को अधिक महत्व प्राप्त हो ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे मालूम नहीं कि वहां क्या बातचीत हुई थी । परन्तु आम तौर उन्होंने यह बताया होगा कि विदेशी विनिधान को किस प्रकार आकर्षित किया जा सकता है । यह एक बात हो सकती है परन्तु यह हमें किन शर्तों पर मंजूर होगी, इस को बहुत अच्छी तरह सरकारी नीति में बताया गया है और सरकार के अधिकारी इस नीति से बाहर नहीं जा सकते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान्, क्या मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं, क्योंकि माननीय मन्त्री ने श्री चक्रवर्ती के प्रश्न के उत्तर में तथा कुछ समय पूर्व श्री रानेन सेन के प्रश्न के उत्तर में सभा को गलत सूचना दी है । दोनों प्रश्न इस बात विशेष के बारे में थे कि क्या श्री बुथलिंगम ने अमरीका में यह बताया था कि सरकार से सरकार को सहायता के स्थान गैर-सरकारी विदेशी विनिधान को लिया जायेगा । इन दोनों मामलों में यदि मैं ने माननीय मन्त्री को ठीक सुना है, तो उन्होंने दिया था कि यह वर्तमान नीति नहीं है और हम ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया । तथ्यों को पूर्णतः तोड़मोड़ कर कहा गया है । मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं क्योंकि श्री बुथलिंगम के दिनांक 4 अक्तूबर के भाषण का जो कि उन्होंने अमरीका की वाणिज्य तथा उद्योग परिषद के सम्मुख दिया था, पुरा विवरण भारतीय विनिधान केन्द्र के मासिक न्यूज लैटर में दिया गया हैं । मैं यहां केवल एक वाक्य का उल्लेख करता हूं ;

"जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, हमें आशा है कि सरकार से सरकार को सहायता का स्थान गैर-सरकारी विदेशी विनियोजन ले लेगा ।"

हम जिस नीति का अनुसरण करना चाहते हैं वह उस की व्याख्या करते हुए हमारी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बोलें हैं । माननीय मन्त्री ने जो कुछ कहा था यह उस के बिल्कुल विपरीत है ।

डा० रानेन सेन : यही मेरा प्रश्न था ।

श्री कपूर सिंह : मैं एक सहायक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न जो पूछा गया था वह यह था कि क्या प्रवृत्ति ऐसी थी कि सरकार से सरकार को सहायता का स्थान गैर-सरकारी विदेशी विनियोग ले लेगा । मैंने कहा था कि प्रवृत्ति से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता । मैंने कहा था कि कुछ क्षेत्रों में हम गैर-सरकारी विनियोजन का स्वागत करेंगे । मेरा विचार नहीं कि इस में कुछ प्रतिवाद की बात है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब यह सरकार की नीति है कि गैर-सरकारी विदेशी विनियोजन लेना है तो क्या यह सरकार की घोषित नीति है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे मालूम नहीं कि किस संदर्भ में उन्होंने यह कहा है कि .....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप सारे भाषण को पढ़े, उस में यह है ।

श्री ब० रा० भगत : वह उन की अपनी राय होगी । परन्तु सरकार की ऐसी नीति नही है ।

श्री कपूर सिंह : मैं एक सहायक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं आ की व्यवस्था चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं क्या मंत्रिमंच के लोगों को जब तक वे पकड़े न जायें सभा को गलत सूचना देते रहने का विशेषाधिकार है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप की आज्ञा से उसी प्रश्न के बारे में मैं कहता हूं कि ऐसा पता लगा है कि श्री बथलिंगम ने अधिकारी रूप से वही कहा था जिस का उपर उल्लेख किया गया हैं । माननीय मन्त्री ने कहा था कि अधिकारी सरकारी नीति के विरुद्ध नहीं जा सकता परन्तु वह वाक्य विशेष तो सरकारी नीति के विरुद्ध जाता है । इस लिये मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस सभा की औचित्य तथा व्यवस्था के अनुसार यह कहें कि वह रिपोर्ट गलत है । यदि यह गलत नही है तो ऐसा कहने में सम्बधित अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने कहा था कि हो सकता हैं कि वे उन के अपने विचार हो और कि सरकार की ऐसी नीति नहीं है । उन्होंने इस का प्रतिवाद किया है ।

श्री रंगा : क्या हम ऐसी सरकार रख सकते हैं जो अपने सचिव को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जा कर ऐसे भाषण करने की आज्ञा देती हैं ? व्यवस्था का प्रश्न तो यहां उठता हैं । क्या इस सभा में मन्त्री महोदय को ऐसा कहने की आज्ञा है कि भारत सरकार के सचिव ने अपने निजी विचार व्यक्त किये थे और कि मन्त्री महोदय इस बारे में कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिये । अगला प्रश्न ।

श्री पाराशर : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सचिव सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे गये थे या व्यक्तिगत रूप में. . . . (**अन्तर्बाधा**)

पूर्वी क्षेत्र के लिये संयुक्त बिजली ग्रिड

+

*159. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री राम हरक यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिये संयुक्त बिजली ग्रिड बनाने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के बिजली बोर्ड के प्रधान इस क्षेत्र में बिजली की लाइनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिये सिद्धांत रूप में सहमत हो गये हैं ;

(ग) संयुक्त ग्रिड की आय और व्यय को किस प्रकार बांटा जायगा; और

(घ) क्या इस क्षेत्र की सब विद्युत् परियोजनाओं की पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनें संयुक्त ग्रिड के अधीन हो जायेंगी जिसके संचालन का समन्वय क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल०टी० 5124/65।]**

Shri Vishwa Nath Pandey : The system of Joint Electricity Board which has been evolved for the State of eastern zone, may I know the extent of benefit, if such system is made for whole of India and the time by which it will be finalized ?

Shri Shyam Dhar Mishra : There will be so many benefits for whole of India. The greatest benefit will be that we will not be troubled by the failure of power and we will be able to make maximum use of the power. But as far as the question of financial benefit is concerned there will be capital saving of the tune of rupees 200 crores and in power there will be saving of 1/2 million kilowatt. Full grids will be needed for whole of India for this benefit.

Shri Vishwa Nath Pandey : By what time this scheme will be finalized ?

Shri Shaym Dhar Mishra : As far as the scheme for regional grids is concerned it will be completed by the end of Fourth Five Year Plan and that which we are thinking for whole of India, will be completed perhaps by the end of Fifth Five Year Plan.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस संदर्भ में बंगाल और बिहार के बीच डी० वी० सी० के प्रशासन के लिये जो झगड़ा चल रहा है क्या मैं जान सकता हूं कि और ऐसे झगड़े न हों इस के लिये सरकार ने अधिकरण स्थापित करने की पक्की योजना बनाई है ?

श्री श्याम धर मिश्र : बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिये पहले ही एक प्रादेशिक बिजली अभिकरण है जिस को 1964 में किसी समय स्थापित किया गया था। यह अभिकरण केन्द्रीय बिजली प्राधिकार के साथ मिलकर राज्यों में उत्पन्न होने वाले झगड़ों की जाच करता है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्वी क्षेत्र के लिये स्थापित की गई ग्रिड में असम को शामिल क्यों नहीं किया गया है । क्या इस का कारण यह है असम बिजली के उत्पादन के मामले में बहुत पिछे है ? यदि हां, तो कोपीली की महत्वपूर्ण परियोजना को एक योजना से उपरी योजना तक क्यो स्थगित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा कु० ल० राव) : उस को अलग क्षेत्र माना जाता है । हम कूच-बिहार को बोन्गइगाम (असम) के साथ मिलाने की बात सोच रहे हैं ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है राज्यों के बीच संयुक्त बिजली ग्रिड के कोटा के बारे में झगड़ा है ?

श्री श्याम धर मिश्र : जो निर्धारण किया जा सकता है उस से सदा ही मांग अधिक होती है । सारा कारण यहां है । राज्यों के बीच झगड़े का कोई प्रश्न हां नही है । प्रश्न तो बिजली की अधिक से अधिक उपयोगिता का है और हम ने सोचा है कि प्रादेशिक ग्रिड प्रणाली के द्वारा बिजली की अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित किया जायेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : There is a great shortage of electricity in Rajasthan, Madhya Pradesh and other areas due to the shortage of power in Gandhi Sagar Dam. Is it proposed to have this grid scheme for Rajasthan also and if so, what will be the basis for distribution of electricity ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान इस समय पंजाब के साथ सम्मिलत है और इस तथ्य के सिवाय वह बिल्कुल अलग है । अगले दो तीन वर्षों में इस को मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ जोड़ देने का

विचार है ताकि बिजली का परिवर्तन हो सके और जिस प्रकार की कठिनाई का हमें सामना है उस को समाप्त किया जा सकेगा ।

Shri Hukam Chand Kachhawaiya : What will be the basis for distribution ? Will it be distributed on the basis of cost or Central Government will distribute it?

Shri Shyam Dhar Mishra : That has already been given in the reply. Distribution will be according to the distance and it will depend on the availability of electricity. Now it cannot be decided how much electricity will be supplied from Madhya Pradesh, Delhi or Rajasthan. It depends upon the distance and availability of the electricity.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The State Governments incur expenditure on the production of electricity in their respective States but so far as availability is concerned there are disputes among them, may I know whether certain measures are being taken to avoid such disputes and the electricity is made available to States according to the expenditure spent by them ? So avoid such dispute as is going on between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, may I know whether any agency is being formed ?

श्री कू० ल० राव : वास्तव में बंटवारे के बारे में हमें अधिक कठिनाई नहीं हो रही है । केवल पैसे की अपर्याप्ति के कारण हम उतने ग्रिड स्थापित नहीं कर रहे हैं जितने की हम स्थापित करना चाहते हैं । वहां कोई बड़े झगड़े नहीं हैं और उन से हमें कोई कठिनाई नहीं हो रही है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्षेत्रीय आधारों पर बिजली ग्रिडों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जहां ये ग्रिड स्थापित किये जाते हैं उन राज्यों की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी और केवल फालतू बिजली को ही दूसरे राज्यों को दिया जायेगा ?

श्री कू० ल० राव : ऐसा ही होगा । पहले उसी राज्य की आवश्यकताओं को ही पूरा किया जायेगा जहां ये ग्रिड स्थापित किये जायगे ।

श्री प्रिय गुप्त : इस तथ्य को देखते हुए कि बिजली संयुक्त ग्रिड प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई की जायेगी, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के उद्योगपति, सरकारी क्षेत्र और उपभोगकाओं को बिजली सप्लाई करने के लिये टेरिफ की दरों में एकरूपता लाने पर विचार कर रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : सरकार दरों में एकरुपता लाने के लिये लगातार विचार कर रही है । हाल ही में कुछ समितियां स्थापित की गई थी जिन्होंने सब प्रकार की टरिफ की दरों में, जिस में औद्योगिक, घरेलू और कृषि सम्बन्धी दर शमिल हैं, एकरुपता लाने की सिफारिश की है । सरकार पहले ही इस समस्या से अवगत है ।

श्री बसुमतारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम में पूरे संसाधन होने के बावजूद भी वहां पर बिजली की स्थापित क्षमता सब से कम है; क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार आसाम राज्य सरकार में बिजली की स्थापित क्षमता में वृद्धि करने से क्यों हिचकिचाती है ?

श्री कू० ल० राव : आसाम में बिजली की स्थापित क्षमता सब से कम नहीं है। हम कुछ योजनायें बना रहे है और आशा है कि एक और वर्ष में आसाम में यदि अत्यधिक नहीं तो कम-से-कम पर्याप्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा ।

Shri Rameshwaranand : In a meeting held 2 years ago between the Punjab Power Minister and Dr. Rao, it was decided to construct a dam on Jumana near Chakrata so as to produce a very large amount of power which

could be utilised not only in Punjab but in other States also. May I know whether this project is being implemented or has been dropped?

डा० कू० ल० राव : यमुना नदी की एक सहायक नदी टोन पर एक बांध बनाने की परियोजना की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार यह परियोजना तैयार कर रही है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के तीनों राज्यों की एक साझी परियोजना है। आशा है प्रतिवेदन शीघ्र तैयार हो जायेगा।

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Minister said that Rajasthan had been connected with Punjab and Delhi and it would now be connected with Gujarat also. May I know whether the zones formed earlier were not on scientific lines and as such it is necessary to do so or there are some other reasons for this ?

Shri Shyam Dhar Misra : The zones are in accordance with the geographical boundaries but it does not mean that power cannot be exchanged between States of different zones. As though Uttar Pradesh and Bihar are not in the same zone, but Rihand power is being supplied to the areas of Uttar Pradesh and Bihar after connecting them with D.V.C. The intention is that an All-India grid should be installed during the Fifth Five Year Plan. The possibility of supplying power to Rajasthan from Gujarat is under consideration.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में अवैध रूप से बदलना

*152. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मुद्रा को अवैध रूप से विदेशी मुद्रा में बदलने की कार्यवाही बढ़ती जा रही है; और

(ख) ऐसे अपराधों के लिए पिछले छः महीनों में कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर शाहु) : (क) सरकार के लिए ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि भारतीय मुद्रा का गैरकानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा में परिवर्तन बढ़ रहा है।

(ख) भारतीय मुद्रा का गैरकानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने अथवा अनधिकृत रूप से विदेशी मुद्रा रखने के लिए, पिछले छः महीनों में दस गिरफ्तारियां की गई।

प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए विदेशी मुद्रा

*156. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए सामग्री का निर्माण करने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है; और

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण प्रतिरक्षा उत्पादन में कमी नहीं आयेगी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा के निर्धारण में रक्षा-प्रधान उद्योगों को ऊंची प्राथमिकता दी जा रही है। इस सम्बन्ध में बराबर पुनरीक्षण किया जाता है और इस बात का भरसक प्रयत्न किया जाता है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण रक्षा सम्बन्धी उत्पादन में कमी न होने पाये।

ग्रामीण प्रायोगिक केन्द्र

*160. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के लिये अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिये देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण प्रायोगिक केन्द्रों का जाल बिछाने के सम्बन्ध में भारत के स्टेट बैंक के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिये संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना के अनुसार, प्रत्येक राज्य में कुछ चुने हुए जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक केन्द्र (पाइलट सेण्टर) खोले जायेंगे । प्रत्येक प्रायोगिक केन्द्र एक ऐसे क्षेत्र में काम करेगा जिसमें कई गांव और कसबे होंगे तथा इन केन्द्रों से यह आशा की जाती है कि वे जोरदार कृषि या कृषि-उत्पादन के अन्य कार्यक्रमों, भूमि-सुधार, सिंचाई और गावों में बिजली लगाने की छोटी छोटी प्रायोजनाओं तथा लघु उद्योगों के विकास सहित, इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था करेंगे । बैंक की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले फार्मों को आवश्यक सीमा तक सरल बना दिया जायगा ।

(ग) राज्य बैंक, जिलों और क्षेत्रों के चुनाव के बारे में अंतिम फैसला हो जाने के बाद, विभिन्न चरणों में बंटे कार्यक्रम के अनुसार इन केन्द्रों की स्थापना करेगा ।

बर्ड एण्ड कम्पनी

*161 **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के कुछ कार्यों की कोई और जांच हो रही है ;

(ख) क्या कम्पनी, उसके सहयोगियों या इस मामले से संबंधित कुछ अन्य व्यक्तियों पर कोई मुकदमा चलाया जाने वाला है ; और

(ग) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों न बर्ड एण्ड कम्पनी के कामों की जांच-पड़ताल करते समय पकड़े गये सभी कागजात, जिनमें पत्र और दस्तावेज़ भी शामिल हैं, मंत्रालय को दे दिये हैं ; और क्या उन्होंने इन सबकी जांच कर ली है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर शाहु) : (क) सीमा शुल्क कानून के उल्लंघन के विषय में बर्ड एण्ड कम्पनी तथा अन्य व्यक्तियों के मामलों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच पड़ताल के दौरान जिन बातों का पता चला था उनके कुछ पहलूओं पर गौर किया जा रहा है ।

(ख) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी तथा सहयोगियों के विरुद्ध मामले में सम्बन्धित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

(ग) कानून लागू करने वाले विभिन्न विभाग, पकड़े गये कागजों की छानबीन करेंगे और आवश्यक पछताछ करेंगे, अतः पकड़े गये कागजों को मंत्रालय के सामने पेश नहीं किया गया है ।

अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की विदेशी यात्रा

*163. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 सितम्बर, 1965 से 31 अक्टूबर, 1965 तक की अवधि में कितने केन्द्रीय सरकार के अधिकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति राजकीय यात्राओं पर विदेश गये तथा उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की;

(ख) उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था; और

(ग) विदेशी मुद्रा को मिलाकर कुल कितना व्यय हुआ ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : विविध मंत्रालयों और विभागों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गयी सहायता

*164. **श्री किशन पटनायक** :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की पिछड़ी हुई आबादी की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य को सहायक अनुदान देने के मामले में विशेष ख्याल रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

चौथे वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लिए सिफारिश किया गया सहायक अनुदान

*165. **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश के लिए कम राशि के सहायक अनुदानों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) चौथे वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश के लिए 2.70 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की सिफारिश की है, जबकि तीसरे वित्त अयोग के फैसले के अनुसार उसे आजकल 6.25 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान मिलता है । लेकिन इस सिफारिश के अन्य सिफारिशों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि वित्त आयोग ने जिस सहायक अनुदान की सिफारिश की है वह विभिन्न केन्द्रीय करों और शुल्कों में से अपने हिस्से की रकम प्राप्त होने के बाद राज्य के, आयोजना से भिन्न राजस्व-घाटे को पूरा करने के लिये है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

मंहगाई भत्ता

*166. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री 9 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 527 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मूल्यों में हुई अत्यावृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को राहत देने का इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इस मामले पर निर्णय स्थगित कर दिया गया है ।

तटवर्ती नगरों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना

*167. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तटवर्ती नगरों तथा कस्बो में सरकारी क्षेत्र का कोई बड़ा कारखाना स्थापित न करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेश के दौरों पर विदेशी मुद्रा का व्यय

*168. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्ति के लिए जाने के लिए विदेशी मुद्रा देने पर तो रोक लगाई गई है, ताकि विदेशी मुद्रा सुरक्षित रखी जा सके, विदेशों के अन्य दौरों पर होने वाले विदेशी मुद्रा के व्यय में अनुपाततः कमी नहीं की गई ;

(ख) यदि हां, तो 1961–62 से अब तक प्रत्येक वर्ष में इन दोनों प्रकार की विदेश यात्राओं पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ग) क्या अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा देने से संबंधित नियमों में कोई नर्मी करने का विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं । विदेशी मुद्रा की आज की कठिन स्थिति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन सभी विदेश-यात्राओं का विदेशी मुद्रा सम्बन्धी खर्च घटा दिया जाय जिन्हें रद्द किया जा सकता है ।

(ख) 1961–62 से आगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो विदेशी मुद्रा दी गयी उसका ब्योरा इस प्रकार है :

	1961–62	1962–63	1963–64	1964–65
			(करोड़ रुपये में)	
शिक्षा	4.9	4.7	4.1	4.1
अन्य	6.5	6.9	6.2	5.7
जोड़	11.4	11.6	10.3	9.8

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली में खाद्य के विषाक्त होने की घटनायें

*169. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री मौर्य :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्री राजदेव सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री शिवचरण गुप्त :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री कपूर सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री० प० ला० वारूपाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इस वर्ष अक्तूबर के महीने में खाद्य पदार्थों के विषाक्त होने की गम्भीर घटनाएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कारणों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है और उस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशिला नायर) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) विवरण इस प्रकार है :

विवरण

दिल्ली में अक्तुबर, 1965 में विषाक्त भोजन के 171 मामलों की सूचना मिली । जांच पड़ताल से पता चला है कि इस विषाक्त भोजन का कारण सदर थाना रोड के एक हलवाई द्वारा खोया से अस्वास्थ्यकर हालातों में मिठाई तैयार करना तथा रखना था । गन्दा खाद्य बेचने के लिये इस विक्रेता के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन अभियोग चलाया जा रहा है ।

दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी खाद्य पदार्थ बिकने वाले स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं । 15 अक्तूबर, 1965 के बाद 1329 स्थानों का निरीक्षण किया गया है तथा खाद्य पदार्थ बनाने तथा रखने में आवश्यक सुधार करने के लिये इन पार्टियों को 551 नोटिस जारी किये गये । मनुष्यों के खाने के अयोग्य 20,209 किलोग्राम खाद्य पदार्थ महामारी रोग अधिनियम के अधीन नष्ट किये गये ।

निगम अधिकारियों ने 15 अक्तूबर, 1965 को नगर निगम क्षेत्र के सभी हलवाइयों की एक बैठक बुलाई तथा उनसे कहा गया कि वे जो खाद्य पदार्थ बनाते/बेचते हैं उनके बनाने, रखने तथा बेचने में सफाई सम्बन्धी पूर्वोपाय बरतें ।

भाखड़ा जलाशय में गाद का जमा हो जाना

*170. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अत्यधिक गाद जमा हो जाने के कारण भाखड़ा जलाशय को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है कि इसकी 585 वर्ष की अनुमानित आयु कम न होने पाय; और

(ग) अन्य बड़े बांधों तथा सिंचाई व्यवस्थाओं के बचाव तथा उनकी देखभाल के लिये की गई कार्रवाइयों का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गाद बैठने की वर्तमान गति परियोजना रिपोर्ट में कल्पित औसत गति से अधिक है, परन्तु गाद बैठने की यह गति आरम्भिक अवस्थाओं में अधिक होती है और भाखड़ा जलाशय की आयु का अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) गाद बैठने की गति को कम करने के लिये अपने देश में पड़ने वाले भाखड़ा वाह्-क्षेत्र में उपयुक्त भूमि संरक्षण उपाय अपनाए जा रहे हैं।

(ग) भाखड़ा-नंगल के अतिरिक्त दूसरी योजना में 1.28 करोड़ रुपये और तीसरी योजना में 11 करोड़ रुपये की लागत पर 13 अन्य नदी घाटी परियोजनाओं में भूमि संरक्षण कार्य आरम्भ किये गये हैं। दूसरी योजना में 218 वर्गमील संकट ग्रस्त क्षेत्र में संरक्षण कार्य किये गये थे और तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में 768 वर्गमील संकटग्रस्त क्षेत्र में संरक्षण कार्य किये गये हैं।

T. A. drawn by officials

***171. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Kapur Singh :
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a constant increase has been noticed in the year-wise details of Travelling Allowance drawn by Government officials during the last three years;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to check it ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) & (b). There was an increase in 1963-64 as compared to the earlier two years. Thereafter the level of expenditure on travelling allowance has been more or less steady. Apart from larger tours necessitated by increased tempo of Government's activities, the increase is attributable to some extent, to the liberalisation in the rates of travelling and daily allowances and other concessions granted in 1962 in pursuance of the recommendations of the Second Pay Commission.

(c) Instructions have been issued advising the Ministries to restrict to the minimum tours of Govt. servants and to avoid as far as possible travel by air conditioned accommodation for rail journeys on duty as also travel by First-class air tickets for tours abroad during the present Emergency. In addition, Ministries have been asked to restrict the budget provision for the next year for administrative and other non-Plan expenditure to 90% of the current year's budget. The above measures are expected to be reflected in the T.A. budget of the Ministries.

आवास कार्यक्रम के लिये गैर-सरकारी पूंजी

*172. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान बनाने के कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी पूंजी आकर्षित करने की कोई योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) गैर-सरकारी विनियोजकों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(ग) गैर-सरकारी धन-विनियोजकों ने कितनी राशि लगाई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : सरकार आवास वित्त निगम की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो नये मकान बनाने या उनका अभिग्रहण करने के लिए लम्बी अवधि के ऋण देगा और जनता को रकमें जमा कराने के लिए प्रोत्साहन देगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन

*173. **श्री अल्वारेस :**

श्री लिंग रेड्डी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में तीसरी पंचवर्षीय योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पूरे हुए लक्ष्यों के आंकड़े क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन और विकास के प्रमुख लक्ष्यों को दर्शाते हुए विवरणों का एक सेट सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5125/65।**]

25 लाख रुपये से अधिक व्यय वाली योजनायें

*174. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने व्यय में अधिकतम कमी करने के लिए 25 लाख रुपए से अधिक व्यय वाली सभी योजनाओं का काम बन्द करने का निश्चय किया है ताकि प्रतिरक्षा प्रयासों के लिए धन उपलब्ध किया जा सके।

(ख) क्या आरम्भ किये जा चुके कार्यों को फिलहाल जारी रखा जायेगा; और

(ग) मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों में और क्या मितव्ययता की गयी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : व्यय में कमी करने के लिये सभी प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। कई योजनाओं में काम रोक दिया गया है। केवल उन्हीं योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है जो चल रही हैं। तथापि, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास योजनाओं को छोड़ा जा रहा है।

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का कर दायित्व

*175. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री 2 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायकद्वारा देय कर के बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर शाहू) : (क) पूछ-ताछ अभी भी जारी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पी० एल० 480

*176. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाड़े पर होने वाले विदेशी मुद्रा के हमारे खर्चे में वृद्धि करने वाले पी० एल० 480 के संशोधन से उत्पन्न होने वाली सब बातों पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या ऐसा अनुभव किया जाता है कि भाड़े पर विदेशी मुद्रा का खर्चा अत्यधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) । (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : संशोधन के कारण अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सम्बन्धी दायित्व, वस्तुओं के मुल्य की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि वस्तुओं की अदायगी आगे भी रुपयों में की जाती रहेगी।

आवास तथा निर्माण कार्यक्रम

*177. **श्री हरी विष्णु कामत** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के आवास तथा निर्माण कार्यक्रम में काफी कमी कर दी गई है अथवा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कमी तथा/अथवा कार्यक्रम के निलंबन के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : जहां तक आवास योजनाओं का संबंध है कोई विशिष्ट कटौती नहीं की गयी है, लेकिन जहां अभी कोई वचन नहीं दिया गया है वहां खर्चे में कुछ कमी, वर्तमान आपात-स्थिति में रक्षा की अति आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, अनिवार्य है। निर्माण के कार्यक्रम के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि कार्यालय तथा जनरल पूल में रिहायशी इमारतों को बनाने के लिये 25 लाख रुपये से ऊपर की लागत की गई बड़ी परियोजनाओं को स्थगित कर दिया जाय। तथापि, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं तथा नीचे की टाईप के वास बनाने की परियोजनायें चालू रहेंगी।

"एड इंडिया कन्सार्टियम"

*178. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ हाल में हुए संघर्ष की दृष्टि से विदेशों द्वारा "एड इण्डिया कन्सार्टियम" के दिए गए वचनों का कोई पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : भारत सहायता संघ के सदस्य द्वारा दिये गये वचनो का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। तीसरी आयोजना की अवधि के लिए भारत सहायता संघ के सदस्य द्वारा दिये गये वचनों के सम्बन्ध में बिलकुल हाल की स्थिति का विवरण सभा को मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5129/65।**]

1962 में नियुक्त की गई मितव्ययता समिति

*179. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 में चीन के आक्रमण के समय एक मितव्ययता समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं तथा निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) क्या यह स्थापना होने से अब तक लगभग मृत-जात अथवा अधिक से अधिक मृतप्राय रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या हाल ही में इसे पुनरुज्जीवित किया गया है ;

(च) क्या इसे एक प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है; और

(छ) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जी हां। दिसम्बर 1962 में एक समिति स्थापित की गई थी जिसमें गृह सचिव, वित्त सचिव (व्यय) और योजना आयोग के अतिरिक्त सचिव थे। इस समिति का काम विभिन्न मंत्रालयो में कर्मचारी-वर्ग तथा व्यय से सम्बद्ध अन्य मामलों का सरसरी तौर पर अध्ययन करना तथा खर्च में कमी करने के बारे में सिफारिशें करना था।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। समिति ने अधिकतर मंत्रालयों। विभागों में कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली थी। सरकार ने उसकी सिफारिशें मान ली थीं और जून 1963 में आवश्यक आदेश जारी कर दिये थे।

(ङ) से (छ) : उस समिति को फिर से क्रियाशील बनाने का इस समय कोई विचार नहीं है। लेकिन विभिन्न मंत्रालयों के काम की जांच करने के लिये मंत्रि-मंडल सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में एक अन्य समिति बनायी गयी है ताकि ऐसे कार्यों का पता चल सके जिन्हें वर्तमान स्थिति में बन्द किया जा सकता है या जिनमें कमी की जा सकती है। अनुमान है कि समिति जल्दी ही जांच का काम पूरा कर लेगी।

सरकारी अधिकारियों की संख्या

394. **श्री मधु लिमये** :

श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 को भारत सरकार की सेवा में कुल कितने सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप-सचिव तथा अवर सचिव थे;

(ख) इस समय उनकी संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) उनके वेतन तथा भत्तों पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च होती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : 15 अगस्त 1947 के सम्बन्ध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। लेकिन 1 नवम्बर, 1947 और 1 अक्टूबर, 1965 को स्थिति इस प्रकार थी :—

	1 नवम्बर, 1947 की संख्या	1 अक्टूबर, 1965 की संख्या
सचिव । विशेष सचिव	18	48
अतिरिक्त सचिव	10	20
संयुक्त सचिव	34	115
उप-सचिव	70	235
अवर सचिव	167	429

उपर्युक्त आंकड़ों में पदेन पद (एक्स-आफिशियो पोस्ट्स) शामिल हैं लेकिन बराबर के पद नहीं।

(ग) ऊपर दिखायी गयी 1 अक्टूबर, 1965 की संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 1.74 करोड़ रुपया।

विदेशी मुद्रा बैंकों में विदेशी कर्मचारियों के स्थान पर भारतीय कर्मचारियों की नियुक्तियां

395. श्री मधु लिमये :

श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा बैंकों के शीर्षस्थ पदों पर विदेशी लोगों के स्थान पर भारतीय लोगों की नियुक्तियों के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के अन्त में जैसी स्थिति होती है उसके सम्बन्ध में सम्बद्ध बैंकों से विवरण प्राप्त किये जाते हैं। कैलेण्डर वर्ष 1964 में भारतीय अधिकारियों की संख्या 307 से बढ़कर 414 हो गयी और उसी वर्ष गैर-भारतीय अधिकारियों की संख्या 229 से 237 हो गयी।

(ख) रिजर्व बैंक इन विवरणों की जांच करता है और जब जरूरी समझा जाता है, तब सम्बद्ध बैंकों से कर्मचारियों का भारतीयकरण करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन

396. श्री राम हरख यादव : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़ी विद्युत तथा सिंचाई परियोजनाओं के उपयोग का अनुमान लगाने के लिये उनका मूल्यांकन करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन-किन बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जायेगा; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) : योजना आयोग की कार्यक्रम मूल्यांकन संस्था ने निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन आरम्भ किया है :—

1. भाखड़ा नंगल
2. मातातिल्ला
3. मयूराक्षी
4. गंगापुर
5. कक्कापार
6. तुंगभद्र
7. लोअर भवानी
8. मलमपुज्झा
9. हीराकुड

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

(क) इन परियोजनाओं से उत्पन्न सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग के मार्ग में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों का विश्लेषण करना, और

(ख) इन परियोजनाओं से उत्पन्न प्रत्यक्ष आर्थिक लाभों (जैसे कि सिंचाइ का विस्तार और शस्य पद्धति में परिवर्तन आदि) को आंकना और इन परियोजनाओं से हुए अथवा होने वाले अप्रत्यक्ष सामाजिक आर्थिक लाभों को बताना।

आशा है कि रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार हो जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी नियोजन

397. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के जीवन बीमा निगम ने 1963–64, 1964–65 तथा 1965–66 में अब तक आन्ध्र प्रदेश के उद्योगों में अथवा अन्य क्षेत्रों में कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बीमा निगम को राज्य में और अधिक पूंजी लगाने के लिये कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं पर कुल कितनी राशि लगाने का अनुमान है ; और

(घ) इस मामले में निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क)

(रुपये लाखों में)

विनियोजन का ब्यौरा	1963–64	1964–65	1–4–65 से 30–9–65
1. राज्य सरकार के ऋण पत्र . .	90.24	131.49	327.70
2. सेन्ट्रल को-आपरेटिव लैण्ड मार्टगेज बैंक के डिबेंचर	34.50	157.22	59.03
3. स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के बांड	203.95	190.44	16.34
4. राज्य वित्त निगम के बांड . .	..	..	48.05
5. नगर पालिका ऋण पत्र . .	(–) 0.19	(–) 0.20	..
6. कम्पनियों के शेयर और डिबेंचर . .	8.51	67.54	12.64
7. आवास योजनाओं के लिये सरकार को ऋण	65.69	137.71	..
8. नगर पालिकाओं को ऋण .	50.00	..	..
9. इंडस्ट्रीयल एस्टेट को ऋण	..	..	7.50
कुल .	452.70	684.20	471.25

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

टिप्पण : 1963–64 और 1964–65 के बारे में विनियोजन के आंकड़े शुद्ध हैं, अर्थात् विभिन्न वर्षों में किये गये विनियोजन में से बिक्री और विमोचन से प्राप्त धन को निकाल कर। पहली अप्रैल 1965 से 30 सितम्बर, 1965 के विनियोजन के आकड़े कुल विनियोग के हैं अर्थात् विनियोग में से बिक्री और विमोचन धन नहीं निकाला गया है। वर्ष के मध्य में बिक्री और विमोचन से प्राप्त धन को निकाल कर अल्प सूचना पर विनियोजन के आंकड़े देना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसी बिक्री के राज्यवार और श्रेणीवार आकड़े वर्ष के अन्त में तैयार किये जाते हैं।

कन्नानूर जिले में ज्वर

398. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कन्नानूर जिले के मायिय्यल में ज्वर महामारी के रूप में फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं; और

(ग) सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

केरल में औद्योगिक विकास

399. श्री अ० क० गोपालन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर एम० एस० ठक्कर ने केरल में चावरा की पूर्व-संपीड़क (प्री-स्ट्रेस्ड) पाइप फैक्ट्री का दौरा करने के बाद उसका विस्तार करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार के बारे में उनके क्या प्रस्ताव हैं, तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या उन्होंने केरल में औद्योगिक विकास की संभावना की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी निश्चित सिफारिशें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) : प्रोफैसर एम० एस० ठक्कर, जिनके साथ केरल सरकार ने चावरा की पूर्व-संपीड़क (प्री-स्ट्रेस्ड) पाइप फैक्ट्री के विस्तार के बारे में विचार-विनिमय किया, ने इस सुझाव से सहमति प्रकट की है और सुझाव दिया है कि एक ब्यौरेवार योजना तैयार की जाय। केरल सरकार से अब यह योजना प्राप्त हो गई है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। केरल सरकार ने सामान्यतया केरल में औद्योगिक विकास की सम्भावना पर भी विचार-विमर्श किया, परन्तु प्रोफेसर ठक्कर ने इस बारे में कोई खास सिफारिश नहीं की है।

कैन्सर

400. **श्री राम हरख यादव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्लैंड-सटन रोग-विज्ञान संस्था में जीवाणु संक्रमण संबंधी अनुसन्धान करने वाले एक भारतीय डाक्टर ने कैन्सर की एक विशेष एवं प्रभावी औषधि तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जीवाणुओं को मारने के लिये एक नया तरीका निकाला गया है और अभी पशुओं पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। कैंसर के इलाज में यह तरीका कहां तक प्रभावकारी है इसके बारे में कुछ भी कहना अभी असामयिक है। ऐसी सम्भावना है कि जो जीवाणुओं पर लागू होता है वह टिशू सेलों पर भी लागू हो सकता है।

आपातकालीन चिकित्सा सहायता सेवा

401. **श्री राम हरख यादव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के तत्वावधान में आपातकालीन चिकित्सा सहायता सेवा गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के उद्देश्य तथा कृत्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण जनशक्ति

402. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या योजना मंत्री 19 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 321 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या इस पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में दूषित पानी

403. श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर के महीने में कनाट प्लेस में भारतीय जीवन बीमा निगम के एक अधिकारी ने नल के पानी में एक कीड़ा देखा था;

(ख) क्या इस बारे में नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारियों से कोई शिकायत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) यह कहा जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के एक अधिकारी ने नल के पानी में एक कीड़ा देखा था।

(ख) जी , हां।

(ग) इस मामले की जांच की गई थी। यह प्रतीत होता है कि यह कीड़ा या तो नल के बाहरी भाग में था या उस बर्तन में जिसमें शिकायत करने वाले ने पानी भरा था।

ब्रिटिश चिकित्सा अधिनियम

404. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत उन देशों में से एक है जिनमें 1956 के ब्रिटिश चिकित्सा अधिनियम का भाग 3 लागू होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीबद्ध सभी व्यक्ति ब्रिटिश चिकित्सा अधिनियम के भाग 3 के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाएं पाने के अधिकारी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भारतीय मेडिकल रजिस्टर में दर्ज उन्हीं व्यक्तियों को ब्रिटिश मेडिकल एक्ट के भाग III के अधीन सुविधायें मिलती हैं जो उस अधिनियम की धारा 18 और 20 में दी गई शर्तों को पूरा करते हों।

भारतीय चिकित्सा परिषद्

405. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षकों तथा विजिटरों द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 और इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अधीन गोपनीय समझे जाते हैं;

(ख) क्या ये प्रतिवेदन ब्रिटेन की जनरल मेडीकल कौंसिल को भेजे जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कब से और किन परिस्थितियों में ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Forest and Mineral Wealth of Mysore

406. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2678 on the 23rd September, 1965 regarding Forest and Mineral Wealth of Mysore and state :

(a) whether the team of U.N. Experts has since submitted its report to Government; and

(b) if so, the main recommendations thereof ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Not yet.

(b) Question does not arise.

Housing for Washermen in Delhi

407. Shri Bagri : **Shri Madhu Limaye :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Hukum Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2720 on the 23rd September, 1965 regarding the provision of residential accommodation for washermen in Delhi and state :

(a) whether the Committee has since submitted its report to Government ;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) the decisions taken by Government thereon ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). The committee has finalized the Report and is expected to submit it to the Government in a few days.

आसाम में बाढ़ नियंत्रण

408. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने राज्यों की चतुर्थ योजना के अन्तर्गत दीर्घकालीन बाढ़ नियन्त्रण उपायों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार तथा राज्य सरकारों से अनुभवी इंजीनियरों की सेवाए प्रदान करने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के मुख्य इंजीनियर को शिलांग में प्रादेशिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है;

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले इंजीनियरों का एक संगठन बनाया जायेगा जो कि बाढ़ नियन्त्रण उपायों की कार्यान्विति में मुख्य इंजीनियर की सहायता करेगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कौन से दीर्घकालीन उपाय करने का विचार किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्य राज्यों के इन्जीनियर डेप्यूटेशनिस्ट के रुप में काम करेंगे।

(घ) दीर्घकालीन कल्पित उपायों में ये कार्य सम्मिलित हैं—नये तटबन्धों का निर्माण, नदी नियन्त्रण तथा नगर संरक्षण कार्य, संचय, जल-कुण्ड, डिटेन्शन जल-कुण्ड और पर्याप्त जल-निकास प्रबन्ध।

पोषाहार कार्यक्रम

409. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोषाहार कार्य-क्रम का कोई मूल्यांकन किया है तथा क्या लोगों की आहार संबंधी विविध रुचियों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने का विचार है ; और

(ग) जन साधारण को उसकी आहार संबंधी आवश्यकताएं तथा स्वस्थ रहने के लिए उपयुक्त भोजन की अपेक्षताओं के बारे में बताने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकारों ने इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में आहार सम्बन्धी विविध रुचियों का निर्धारण करने के लिये सर्वेक्षण किया है और इसके परिणाम आई० सी० एम० आर० की भारत की आहार अटलस में प्रकाशित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, अच्छे स्वास्थ्य के लिये आवश्यक पर्याप्त संतुलित आहार के निर्माण के और विभिन्न प्रकार आहारों का ब्यौरा और संतुलित आहार के लिये उनकी कितनी मात्रा चाहिये, उनकी सिफारिश कौंसिल ने अपने प्रकाशन "दी न्यूट्रिटिव वेल्यू आफ इंडियन फूड्स एण्ड दी प्लानिंग आफ सेटिस्फैक्टरी डायट्स"—स्पेशल रिपोर्ट माला संख्या 42 में की है। प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम, जिसे सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है, का मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) "डायट एटलस आफ इंडिया" और "दी न्यूट्रिटिव वेल्यू आफ इंडियन फूड्स एण्ड दी प्लानिंग आफ सेटिस्फेक्टरी डायट्स" की एक एक प्रति लोक सभा के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ग) अच्छे स्वास्थ्य के लिये जिन आहारों को उपयुक्त समझा जाता है उनका प्रचार प्रदर्शनियों, इश्तहारों, पोस्टरों और निदर्शन किया जाता है ; यह केन्द्र और राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और स्वास्थ्य निदेशालयों में पोषाहार सेलों द्वारा किया जाता है।

पिछड़े क्षेत्र

410. **श्री उमानाथ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी स्थिति का निर्धारण करने तथा तदनुसार कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में विशेष क्षेत्र विभाग बनायें, क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) किन-किन राज्यों ने ऐसे विभाग बनाये हैं तथा किन राज्यों ने ऐसा नहीं किया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिन राज्यों में ये विभाग बनाये गये हैं वहां पर उनके कार्य की क्या प्रगति है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जनवरी 1965 में राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि वे कतिपय विकास सूचकों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करें। प्रत्येक राज्य में विशेष क्षेत्र विभाग स्थापित करने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया था। राज्य सरकारों के उत्तरों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारत को विश्व बैंक से सहायता

411. **श्री विश्वनाथ पाण्डे** :

श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री 2 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 368 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने भारत को विश्व बैंक से सहायता के सम्बन्ध में भारत को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : विश्व बैंक दल ने, बैंक के अध्यक्ष को रिपोर्ट का प्रारूप दे दिया है। लेकिन प्रारूप को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

मोनीभद्रा बांध परियोजना

412. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोनीभद्रा बांध परियोजना पर, जो टिक्करपाड़ा बांध परियोजना का एक भाग है, मुख्य परियोजना से सर्वथा पृथक रुप में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उड़ीसा सरकार से मणिभद्र परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बड़ी सिंचाई परियोजनायें

413. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता से अब तक कितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूर्णत: अथवा अंशत: पूरी हो चुकी हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जायेगी ; और

(ग) समस्त कृषि योग्य भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान आरम्भ की गई 74 वृहत सिंचाई परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से निश्चित सहायता मिल रही है। तीन स्कीमें लगभग पूर्ण हो गई हैं तथा तीसरी योजना के अन्त तक 13 और स्कीमों के पूरा होने की संभावना है।

(ख) पूर्ण हुई तीन परियोजनाओं (भाखड़ा, दामोदर घाटी निगम और हीराकुड) से 52,32,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी। निश्चित सहायता प्राप्त कर रही बाकी 6 परियोजनाओं (चम्बल, कौसी, गण्डक, नागार्जुनसागर, व्यास और राजस्थान नहर) से, जब ये पूर्ण हो जाएंगी, 97,67,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी। सभी 74 परियोजनाओं के पूर्ण होने पर कुल 357 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी।

(ग) किसी परियोजना के अधीन सिंचित होने वाले क्षेत्र का निर्णय इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि यथासंभव बड़े से बड़े क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो तथा वहां धरातल उपयुक्त हो और जल उपलब्धता में कोई बाधा न हो।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

414. **श्री ब० कु० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों की कितनी राशि अभी वसूल नहीं की गई है;

(ख) ऋण लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में कितने मुकदमें चल रहे हैं और कुल कितनी राशि के सम्बन्ध में; और

(ग) ऋण लेने वाले व्यक्तियों अथवा उनकी गारन्टी देने वाले व्यक्तियो का पता न लगने के कारण कितनी राशि अरक्षित समझी जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 4.46 करोड़ रुपये की रकम, जिसमें 31 दिसम्बर 1964 तक का ब्याज भी शामिल है, अभी वसूल नहीं हुई है।

(ख) कोई मामला अदालत में नहीं भेजा गया है, लेकिन लगभग 4 करोड़ रुपये के 4376 मामले कलेक्टरों के सिपुर्द किय गये हैं, ताकि वे उस रकम की वसूली उसी तरह करें जैसे बकाया मालगुजारी की जाती है।

(ग) ऋण लेने वालों या उनकी गारन्टी देने वालों का पता न लगने के कारण 16 लाख रुपये की रकम अरक्षित (अनसिक्यूर्ड) समझी जाती है।

बढ़ी हुई बैंक दर तथा पुराने जमा खाते और ऋण

415. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़ी हुई बैंक दरें पुरानी जमा खातों तथा ऋणों पर लागू नहीं होती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने पुराने जमा खातों पर बैंक दर नहीं बढ़ाई है अपितु पुराने ऋणों पर दरें बढ़ा दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) रिजर्व बैंक के निदेश के अनुसार, बैंकों द्वारा उन जमा रकमों के ब्याज की दरों में वृद्धि करने पर रोक लगा दी गयी है, जिन्हें मांगने पर या अत्यन्त अल्प-सूचना पर निकाला जा सकता है। मीयादी जमा रकमों या मीयादी ऋणों के मामले में ब्याज की वे ही

दरें लागू हैं, जो पुराने करारों में दर्ज हैं, लेकिन एक अन्तर-बैंक (इंटर-बैंक) करार के उपबन्धों के अनुसार, यदि जमाकर्ता, व्याज की एक निर्धारित रकम न ले तो वह मीयादी रकम को, उसके पकने की तारीख से पहले भी निकलवा सकता है और उसके बाद, व्याज की चालू दर पर, जमा रकम का खाता फिर से चालू करा सकता है।

(ख) और (ग) : सेंट्रल बैंक ने, मीयादी जमा या मीयादी ऋणों के सम्बन्ध में करार में दर्ज व्याज की दरों में वद्धि नहीं की है, लेकिन सम्बद्ध अन्तर-बैंक करार के उपबन्धों के अनुसार, मीयादी-जमा रकमों का समय से पहले भुगतान करने और बाद में उन्हें नये सिरे से चालू करने की अनुमति देने के लिए राजी है।

बरना और हलाली सिंचाई परियोजनायें

416. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री चाण्डक :
श्री वाडीवा :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दाजी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री अ० सिंह सहगल :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बरना और हलाली सिंचाई परियोजनाओं सम्बन्धी काम को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये राज्य सरकार को कुछ राशि प्रदान की गई है ; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बरना परियोजना को योजना आयोग ने पहले ही स्वीकार कर लिया। इलाली परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से अभी प्रतीक्षित है।

(ख) बर्ना परियोजना के लिये कोई निश्चित सहायता नहीं दी जा रही है।

(ग) बर्ना परियोजना के प्राथमिक कार्य, जैसे कि पहुंच सड़कों, भवन निर्माण, स्थल की सफाई आदि, प्रगति पर है। मार्च, 1965 तक 75.3 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के क्वार्टरों के लिये जल-सम्भरण

417. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में नये बने हुए क्वार्टरों में जो कि कितने ही वर्षों से जल संभरण की सुविधाओं के न होने के कारण खाली पड़े हुए हैं, इस बीच जल संभरण का प्रबन्ध कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जल संभरण व्यवस्था कब की गई थी; और

(ग) क्या सभी क्वार्टरों में अलाटी आ गये हैं तथा इनमें से अभी तक कितने क्वार्टरों के अलाटी नहीं आये हैं तथा कितने क्वार्टर अलाट नहीं हुए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : नगर निगम के द्वारा पानी की सप्लाई सीमित आधार पर उपलब्ध हो चुकी है। पानी की सप्लाई की लाइनों की जांच करने और सफाई करने में लगभग दो सप्ताह और लगेंगे। ये जांच हो जाने के बाद ही क्वार्टरों का दखल अलाटी ले सकेंगे।

T.B. Seals Sale Campaign

418. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that, as usual, Government have started a T.B. seals sale campaign this year also;

(b) if so, the sale proceeds for the last year; and

(c) the target fixed for this year?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) As in previous years the Tuberculosis Association of India has organised the T.B. seals sale campaign this year also, which commenced on the 2nd October and will terminate on the 26th January.

(b) The sale proceeds for the last year are estimated to be about Rs. five lakhs.

(c) No collection target has been fixed.

Supply of Drinking Water in Delhi

419. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some special arrangements for the continued supply of drinking water have been made in Delhi in view of the prevailing Emergency;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) the amount spent thereon; and

(d) the period stipulated for keeping these special arrangements in tact ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) Arrangements have been made to instal a plant, with accessories, to augment the water supply requirements of the Capital. A number of tube wells and hand-pumps have been and are being installed at selected sites.

(c) Approximately Rs. 31 lakhs.

(d) These installations are of a permanent nature.

New Two Paisa Coin

420. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued a new two paisa coins;

(b) if so, the total value of the coins issued; and

(c) whether there is any proposal to issue new three paisa coins also?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes Sir.

(b) The total value of the coins issued is Rs. 3,04,781 of which coins valuing Rs. 2,28,081 were issued over the Reserve Bank of India counters and the balance remitted to the Small Coin Depots.

(c) No, Sir.

क्वार्टरों का अलाटमेन्ट

421. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सामान्य पुंज से क्वार्टर अलाटमेंट के संबंध में निचली श्रेणी वाले "नेक्स्ट बिलों" नियम के हटाये जाने से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जहां तक मालूम हुआ है स्थिति ठीक विपरीत है। i, ii, iii, और iv श्रेणियों में "नेक्स्ट बिलों" नियम के हटाये जाने की बड़ी प्रशंसा की गयी है। अब यह मांग है कि इसे उच्चतर श्रेणियों के लिए भी बढा दिया जाय।

'पी' फार्म लेने पर प्रतिबंध

422. **श्री हेडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित वर्गों के मामले में 'पी' फार्म लेने में क्या प्रतिबन्ध लगे हुए है :

(1) वे विद्यार्थी जिनकी फीस मुआफ है तथा जिन्हें 'एसिस्टैंटशिप' मिलती है;

(2) भारत की स्वयंसेवी संस्थाओं तथा विदेशों की तत्समान संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से नियोजित सांस्कृतिक आदान प्रदान;

(3) ऐसा व्यक्ति जिसके टिकट के लिए विदेशी मुद्रा दी गयी है, तथा विदेश में जिसके खर्च की जिम्मेदारी प्रयोजक ने उठा ली है; और

(4) विमान समवायों के कर्मचारी जिनको कम्पनियों की ओर से मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती है;

(ख) प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) 'पी' फार्मों को स्वीकार करने में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिये यदि कोई उपाय किये गये है; तो क्या ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को 'पी' फार्म देने के लिये निम्नलिखित विनियम है :—

(1) जिन विद्यार्थियों को अपने निर्वाह और फीस के लिये विदेशी सरकारों अथवा विश्व-विद्यालयों या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं से छात्रवृत्ति मिल जायेगी उनको 'पी' फार्म दे दिया जायेगा, बावजूद किसी भी पाठ्यक्रम के और बिना न्यूनतम शिक्षा योग्यता की मांग किये हुए जो उन विद्यार्थियों के लिये विहित है जो विदेशों में अध्ययन करना चाहते है।

(2) विभिन्न अनुमोदित सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत सीमित व्यक्तियों को 'पी' फार्म दिये जाते हैं।

(3) विदेशों से स्वीकार्य आतिथ्य के आधार पर 'पी' फार्म दिये जा सकते हैं। मोटे तौर पर ऐसा आतिथ्य माता/पिता/पुत्रों/पुत्रियों अथवा किसी विख्यात संस्था और संगठन अथवा विदेशी सरकारों से होना चाहिये। परन्तु विदेशी मुद्रा नियंत्रण की दृष्टि से यह पर्याप्त नहीं यदि किसी के पास पूर्वदत्त टिकट है अथवा उसे पूर्ण आतिथ्य की आशा है।

(4) एयरलाइन्स के उन कर्मचारियों को, जिनको उनकी सेवा शर्तों के अन्तर्गत निःशुल्क यात्रा का अधिकार है, वर्ष में अेक बार 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिये विदेश ठहरने की इजाजत दी जाती है। बशर्ते कि वहां ठहरने की व्यवस्था के बारे में संतोषजनक प्रमाण पेश किया जाये।

(ख) विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोकने के उद्देश्य से 'पी' फार्म नियंत्रण लागू किया गया है और ऐसी यात्रा पर विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये भी जो आवश्यक न हो।

(ग) भारत के रिज़र्व बैंक के सभी रिजनल कार्यालयों को उपयुक्त अधिकार दिये गये हैं और यदि पूरे कागजात पेश किये जाते हैं तो मंजूरी देने म अधिक विलम्ब नहीं किया जाता।

शिक्षा के क्षेत्र में जन-सहयोग

423. **श्री बृजराज सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने शिक्षा के क्षेत्र में जन सहयोग की अभिवृद्धि के लिये अभिभावक अध्यापक सहयोग के संबंध में एक कार्यकारी दल बनाया है;

(ख) इस कार्यकारी दल में कौन-कौन लोग हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार के संकल्प संख्या 1/23/64/शिक्षा 18 सितम्बर, 1965, जिसमें कार्यकारी दलके गठन और उसके विचारणीय विषयों का ब्यौरा दिया गया है कि एक प्रति सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

विलास वस्तुओं का आयात

424. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री बृजराज सिंह :

श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1964 के पश्चात् विलास वस्तुओं का अवैध रूप से आयात करने के सम्बन्ध में कुल कितनी फर्मों को दोषी पाया गया है;

(ख) उनको क्या दण्ड दिया गया है; और

(ग) अवैध रूप से कुल कितने मूल्य की विलास वस्तुयें आयात की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 1 जनवरी, 1964 से लेकर अब तक विलास वस्तुओं को व्यापार के लिये जहाजी माल या डाक पार्सल के रूप में गैर कानूनी तौर पर आयात करती पाई गई फर्मों की कुल संख्या 706 है।

(ख) फर्मों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई है, जिसमें माल की पूर्णत: जब्ती, जुर्माना अदा करके माल वापस मिल जाने की व्यवस्था के साथ जब्ती, तथा व्यक्तिगत जुर्माना करना भी शामिल है। अब तक लगाये गये व्यक्तिगत जुर्माने तथा दण्ड की रकम 1,97,835.00 रुपये है।

(ग) करीब सात लाख रुपये।

जैमैका में आयोजित राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन

425. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जैमैका में सितम्बर, 1965 में हुअे राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने सम्मेलन को पहले ही इस की सूचना दे दी थी; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : 22 और 23 सितम्बर, 1965 को जमैका में हुए राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन में भाग लेने से 'इन्कार' नहीं किया गया था। वित्त मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन सितम्बर 1965 के प्रारम्भ से, हमारी सीमाओं पर जो घटनाएं होने लगीं उनके कारण वित्त मंत्री के लिए देश से बाहर जाना असम्भव हो गया। जमैका के कार्यवाहक प्रधान मंत्री को सम्मेलन में भाग न लेने की भारत की असमर्थता की सूचना उसी समय अर्थात् 15 सितम्बर 1965 को दे दी गयी थी, जब यह फैसला किया गया था।

नागरिक सुरक्षा के लिये डाक्टर

427. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में संस्थाओं, अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों के कितने डाक्टरों ने प्रतिरक्षा कार्य के लिये अपनी सेवाएं अर्पित की; और

(ख) उनकी सेवाओं से कितना लाभ उठाया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली की संस्थाओं, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों से 525 डाक्टरों ने रक्षा कार्य के लिये जिसमें नागरिक सुरक्षा भी सम्मिलित है अपने आपको अर्पित किया।

(ख) इनमें से 23 डाक्टर सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किये गये। 454 डाक्टरों का उपयोग प्राथमिक चिकित्सा चौकियों (फर्स्ट एड पोस्ट) तथा दिल्ली में अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिये किया गया तथा 17 डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग दिल्ली से बाहर पंजाब तथा जम्मू व काश्मीर में किया गया।

लाजपत नगर, नई दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों के निवासी

428. **श्री मोहसिन :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लाजपत नगर, नई दिल्ली के झुग्गी-झोंपड़ियों के निवासियों को वहां से हटा दिया गया था तथा उनकी झोंपड़ियों को नगरपालिका अधिकारियों ने उखाड़ दिया था परिणाम-स्वरूप 1000 से अधिक व्यक्ति बेघर हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनको दूसरा स्थान दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) लाजपत नगर मुख्य में कोई झोंपड़ियां नहीं गिराई गयीं। फिर भी, लाजपत नगर के निकट एन्ड्रूजगंज में 487 झोंपड़ियां 13 और 14 अक्टूबर, 1965 को गिराई गयी थीं।

(ख) झुग्गी और झोंपड़ी हटाने की योजना के अधीन जो लोग पात्र पाये गये उन्हें वैकल्पिक वास दे दिया गया है। इस मामले में अपात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी।

बिजली के पुराने "मेनों" का बदला जाना

429. **श्री शिवचरण गुप्ता** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम को नगर में पुराने 'मेनों' तथा 'सब-मेनों' को बदलने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यक्रम क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) पुरानी 6.6 के० वी० की मुख्य तारों को लगभग 50 प्रतिशत तक नई 11 के० वी० की मुख्य तारों से तब्दील कर दिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान, उपकेन्द्र की क्षमता में 100 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। कम वोल्टेज वाली ए० सी० की मुख्य तारों को भी तब्दील कर दिया गया है और/अथवा दृढ़ कर दिया गया है। डी० सी० की बिजली काफी मात्रा में कम कर दी गई है और नगर के सारे डी० सी० वाले क्षेत्रों में डी० सी० को ए० सी० में परिवर्तित करने के लिये नई ए० सी० वाली मुख्य तारें लगा दी गई हैं।

(ग) बाकी पुरानी मुख्य और उप मुख्य तारों को तब्दील करने के लिये पग उठाए जा रहे हैं तथा इस काम पर तीन वर्ष और लग जाएंगे, ऐसी सम्भावना है।

केरल में फाइलेरिया

430. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में शेरतलाई, एल्लप्पी, बडागर, बलियापटम तथा पोनानी के फाइलेरिया-ग्रस्त केन्द्रों में फाइलेरिया की रोकथाम तथा उसके इलाज के लिये क्या विशेष कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : केरल राज्य में दो प्रकार के फाइलेरिया रोग हैं, अर्थात् डब्ल्यू० बंकरोफ्टी और बी० माल्वी। बी० माल्वी रोग शेरतलाई और एल्लप्पी में फैला हुआ है जबकि डब्ल्यू० बंकरोफ्टी बडागर, बलियापटम तथा पोनानी में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों के अलावा केरल राज्य के कई और जिलों में यह रोग फैला हुआ है।

जहां तक डब्ल्यू० बंकरोफ्टी रोग के रोकथाम का सम्बन्ध है, 1955 से विभिन्न राज्यों में जिनमें केरल भी शामिल है राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; केरल राज्य के विभिन्न फाइलेरिया-ग्रस्त क्षेत्रों में 20 फाइलेरिया नियंत्रण यूनिट कार्य कर रहे हैं, बडागर और बलियापटम् में एक एक नियंत्रण यूनिट है। बलियापटम का कार्य पड़ोसी कन्नूर के नियंत्रण यूनिट द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार ने कार्यक्रम को 1965-66 में जारी रखने के लिये 9.35 लाख रुपये दिये हैं। बी० माल्वी फाइलेरिया रोग के नियंत्रण के हेतु एक बी० माल्वी मुख्य परियोजना चालू की गई है। इस परियोजना के लिये कर्यचारियों की भर्ती की जा रही है और नियंत्रण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शेरतलाई और एल्लप्पी ताल्लुक के बहुत से भाग को नियंत्रण कार्य के लिये लिया जा रहा है।

फाइलेरिया के नियंत्रण के लिये कोई विशेष औषधियां नहीं हैं। तथापि, कालिकत में फाइलेरिया प्रशिक्षण केन्द्र और त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट के मेडिकल कालेजों में क्रमबद्ध उपचार और क्लिनिकल परीक्षण किये जाते हैं। इन चुने हुए स्थानों में क्लिनिकल परिक्षणों के अलावा, विभिन्न सरकारी अस्पतालों में फाइलेरिया के उपचार के लिये केरल राज्य स्वास्थ्य संगठन के मेडिकल विभाग को डाइथाइल कार्बेमेजीन की गोलियां दी गई हैं।

पागलपन का आयुर्वेदिक उपचार

431. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आयुर्वेदिक पद्धति में पागलपन का कारगर उपचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह पद्धति हमारे किसी मानसिक रोग अस्पताल में आजमाई गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशिला नायर) : (क) कुछ प्रकार के मानसिक विकारों के लिये आयुर्वेदिक पद्धति के उपचार से कुछ रोगियों को फायदा पहुंचा है।

(ख) जी हां, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ, बंगलौर में।

ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता

432. **श्री राम हरख यादव :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता के बारे में योजना आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार को मिल चुका है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का आधार क्या है तथा इस कार्य के लिए विशेष रूप से चुने गये क्षेत्र कितने हैं तथा उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या कुछ वर्ष पहले आरम्भ किये गये संधन विकास का काम भी सर्वेक्षण के अन्तर्गत आता है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : 1962–63 के दौरान योजना आयोग ने लघु उद्योगों के संधन विकास का कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्य के लिये 45 परियोजना क्षेत्रों को चुना गया। इसके बाद , यानी 1965–66 में चार और परियोजनाओं में यह कार्यक्रम चालू किया गया। कार्यक्रम तैयार करने तथा उनको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि विकास की योजनाओं को तैयार करने से पहले क्षेत्रों का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाय ताकि साधनों—भौतिक, सामान के साथ साथ मानवीय-विकास की क्षमताओं की संभावनाओं इत्यादि का अनुमान लगाया जा सके। 1965–66 में जिन चार नई परियोजनाओं में काम शुरू किया गया था उनमें से दो को छोड़ कर, सभी परियोजनाक्षेत्रों के सर्वेक्षण प्रतिवेदन पूरे हो गये हैं और प्रस्तुत किये जा चुके है। परियोजना क्षेत्रों की संख्या और ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5126/65।]**

फरक्का बांध

433. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध के लिये आवंटित राशि में कमी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कमाई न करने वाली महिलाओं का बीमा

434. **श्री जसवंत मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने कमाई न करने वाली महिलाओं का बीमा न करने का निर्णय किया है, भले ही वे अन्य सब प्रकार से इसके लिये पात्र हों; और

(ख) यदि हां, तो पुरूष तथा स्त्री के संबंध में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण तथा भिन्न-भिन्न मानक अपनाये जाने क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Seizure of illicit 'Ganja'

435. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Excise Department has recovered four boxes of illicit Ganja, valued at about rupees fifty thousand, at Bhatni Railway Station (N.E. Railway), which was being sent from Kumar Bagh to Kachhewa Road and Bombay in the month of October, 1965; and

(b) if so the action taken by Government in the matter.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir. Four wooden boxes wrapped in gunny bags containing 271 Kgs. (net) of illicit Ganja have been recovered at Bhatni Railway Station of N. E. Railway on the 3rd October, 1965 by the State Excise Department. These boxes were despatched from Kumar Bagh and were consigned to Kachhewa Road and Bombay.

(b) The matter is being investigated by the State Excise Department. No arrest has so far been made.

Evaluation Committee for Public Sector Works

436. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have constituted an Evaluation Committee for public sector works;

(b) if so, the names of the members of the Committee; and

(c) the terms of reference of the Committee ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

गोदावरी पर धरण (बांध) का निर्माण

437. **डा० मा० श्री० अणे** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी पर पैथन के समीप कानगांव के स्थान पर एक धरण (बांध) बनाने की सिंचाई परियोजना को अन्तिम रुप से स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से इसे कार्यान्वित करने का और क्या कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मराठवाड़ा डिवीजन के लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जयक्वाडी सिंचाई परियोजना (चरण 1), जिस में पैथन के निकट एक बांध और एक वाम तट नहर शामिल है, फरवरी, 1965 में स्वीकार की गई थी। परियोजना को चौथी योजना में शुरू करने और पांचवी योजना में पूरा करने का विचार है।

(ग) और (घ) : कुछ एक व्यक्तियों ने इस परियोजना के खिलाफ शिकायत की है। इन पर केवल विचार किया गया था।

Backwardness in North Bihar

438. Shri Yogendra Jha : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to chalk out a special programme for the development of backward districts of Northern Bihar on the lines undertaken in the four backward districts of Eastern Uttar Pradesh based on the recommendation of the Patel Commission; and

(b) if not, the measures Government propose to adopt to remove backwardness of districts of Northern Bihar ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) Does not rise.

बाढ़ तथा सेमविषयक संयुक्त बोर्ड

439. श्री रामपुरे :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ों और सेम की समस्या को हल करने के लिये राज्यों के बीच एक संयुक्त बोर्ड स्थापित किया गया है; और

(ख) यह बोर्ड किन-किन राज्यों में काम करेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दिल्ली और सहवर्ती पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के शीघ्र कार्यान्वनार्थ समेकित आयोजन और एकीकृत नियन्त्रण तथा निदेशन को सुनिश्चित करने के लिये एक बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड स्थापित किया गया है।

(ख) इस बोर्ड में पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों और दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह बोर्ड दिल्ली और इस के सहवर्ती की बाढ़ व पानी निकास की समस्या पर विचार करेगा।

ब्रिटेन में मुन्दड़ा की सम्पत्ति के बारे में जांच

440. श्री घुलेश्वर मीना : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री हरिदास मुन्दडा की लन्दन में 10 लाख पौंड की सम्पत्ति है, जिस के बारे में समवाय विधि प्रशासन तथा प्रवर्त्तन शाखा ने स्काटलैंड यार्ड की सहायता से जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो जांच पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) उस का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : इस मामले में अभी छानबीन की जा रही है, इसलिये इस के सम्बन्ध में किसी भी सूचना को इस समय प्रकट करना ठीक नहीं होगा।

Water Supply to Punjab from Rajasthan Canal

441. Shri Gulshan : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 510 on the 9th September, 1965 and state :

(a) whether the question of supply of water from Rajasthan canal to Punjab has since been reconsidered ; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The matter is under consideration.

(b) Does not arise.

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) सीतामढी के निकट रेल्वे पुल पर दुर्घटना

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

> "9 नवम्बर, 1965 को बागमती नदी के ऊपर एक पुल पर सवारी गाड़ी से टकरा जाने के परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु और अन्य व्यक्तियों के घायल हो जाने का समाचार"।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 9-11-65 को सुबह लगभग 6-30 बजे बहुत बड़ी तादाद में लोग कार्तिक पूर्णिमा के मेले में जाते समय रेलवे पुल नं० 91 ए पर से अनधिकृत रूप से गुजर रहे थे। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा-नरकटियागंज सेक्शन पर धांग और बैरगिनिया स्टेशनों के बीच 132/3-4 किलोमिटर पर स्थित है। उस समय 101 अप दरभंगा-नरकटियागंज सवारी गाड़ी पुल के पास पहुंच गयी थी। अनधिकृत रूप से गुजरने वालों में से 9 व्यक्ति गाड़ी से कुचल गये, जो पुल से बाहर नहीं निकल पाये थे। इनमें से 4 मर गये और बाकी 5 को गम्भीर चोटें पहुंची।

गाड़ी के ड्राइवर ने बैरगिनिया पहुंचने पर 6 बजकर 45 मिनट पर इस घटना की रिपोर्ट दी। उसके कुछ ही बाद लोगों की भीड़ स्टेशन पर इकट्ठा हो गयी और उसने ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन के कर्मचारियों को पीटा। ड्राइवर को गम्भीर चोटें आयी और कुछ रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंची।

सरकारी रेलवे पुलिस और सीतामढ़ी सब-डिवीजन के सिविल अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गयी। सरकारी रेलवे पुलिस का एक दल 9 बज कर 45 मिनट पर घटना-स्थल पर पहुंचा। लगभग एक घंटा बाद सब डिविजनल अफ़सर और जिला पुलिस के सहायक अधीक्षक भी घटना-स्थल पर पहुंच गये। घायल व्यक्तियों को बैरगिनिया लाया गया और वहां के रेलवे डाक्टर ने उनका इलाज किया। इसके बाद, रेलवे ड्राइवर सहित घायल व्यक्तियों को आगे इलाज के लिए सीतामढ़ी के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। घायल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 10-11-65 की सुबह मर गया।

[डा. राम सुभगसिंह]

यह रिपोर्ट मिली है कि पुलिस ने 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस दुर्घटना से पीड़ित लोगों को दया रूप में वित्तिय सहायता देने की भी कोई व्यवस्था की गई है ?

डा० रामसुभग सिंह : हमने वरिष्ट अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है और उनकी रिपोर्ट मिलने पर उसके अनुसार कायवाही की जायेगी।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Since we have posted our men to guard every railway bridge, whether they did not stop those persons and even if they trespassed on to the bridge, what is the use of these guards ?

Dr. Ram Subhag Singh : The police is investigating all this and we will decide on receipt of information from them.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : The hon. Minister, in his reply has stated that eight persons were caught for indulging inviolent acts. I want to know where these persons belonged to the fifth column ? What type of persons they were and what activities they were indulging in ? Whether the next of kin of the persons killed have been informed ?

Dr. Ram Subhag Singh : How can I call them fifth columnists unless I get the report ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether the families of those killed have been intimated ?

Dr. Ram Subhag Singh : Yes, we have informed them and we would do much more than that.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या किसी पुल से गुजरते हुये, इंजन के चालकों के लिये गाड़ी की गति के नियंत्रण संबंधी कोई नियम नहीं है ?

डा० रामसुभग सिंह : जी हां, ऐसा नियम है और उसका पालन किया गया है।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : I want to know why the train was not stopped when a crowd of 1,000 persons was passing through the bridge.

Dr. Ram Subhag Singh : This would also one enquired into.

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : Such accidents are very frequent, e.g., on the bridge over Sona River in district Sholapur. Then why the Government no provide for foot-paths on both sides of these bridges to avoid such accidents ? May I know whether this bridge had any foot-path or some other path or not ?

Dr. Ram Subhag Singh : As you are aware, many railway bridges are such as to provide only trains to pass. This was also one such bridge.

Shri Vishwanth Pandey (Salempur) : Whether Government propose to appoint a high-level Enquiry Gommittee ?

Dr. Ram Subhag Singh : As already stated, a committee of Senior-scale officers has been set up.

Shri Brij Behari Mehrotra (Bilhaur) : Every year, on Kartik Mela when people pass through this bridge, why arrangement for traffic control were not made this year ?

Dr. Ram Subhag Singh : I do not know what arrangements are made every year, but I know that a warning sign exists at both the ends telling people not to pass. Still, the accident has taken place and all these things would be considered.

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में—(प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE—(Query)

अध्यक्ष महोदय : अब हम कल की ध्यान दिलाने की सूचना पर विचार करेंगे। श्री हरि विष्णु कामत।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I gave notice of an adjournment motion on a very important subject.

Mr. Speaker : I cannot take it up like this.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, when I referred to my calling attention notice yesterday, you had promised to give me an opportunity. That concerned the Indu Group of Mills of Bombay. It is a question of 22,000 workers.

Mr. Speaker : I cannot allow to raise it like that.

Shri Madhu Limaye : Then, how would you allow it ? It is a question of life and death of thousands of people. After all, what for the Lok Sabha is there ?

Mr. Speaker : I know that.

Shri Madhu Limaye : You may kindly tell, when you would call me—now, later or tomorrow ?

Mr. Speaker : I cannot say that now.

Shri Madhu Limaye : This concerns 22,000 labourers. These Mills are going to be closed down. The Government had taken them over and after improving their condition, these mills were handed over to their owners. Then they were earning a profit of 1 crore rupees. The Mill-owners have again brought deterioration in their condition. If you would not allow me to raise it then what is the use of our coming here. You kindly allow me two minutes' time.

Mr. Speaker : I cannot give you even two minute's time at present. As far as your calling attention notice is concerned, I have disallowed it.

Shri Madhu Limaye : You disallow all the notices.

Mr. Speaker : I am here only for this.

Shri Madhu Limaye : On a point of order Sir.

Mr. Speaker : I would not allow you to raise a point of order now.

Shri Madhu Limaye : Why not ? I have a point of order regarding this calling attention notice. You will have to allow the point of order.

Mr. Speaker : It is very strange to say that यह कहना कि मैं अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता मेरे अधिकारों को चुनौती है।

श्री नाथ पाई : आप शायद सदस्य महोदय का ध्यान संबंधित मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिला कर स्थिति संभाल सकते थे जो उन्होंने अगले दिन मेरे द्वारा यह प्रश्न उठाये जाने पर दिया था। वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे प्रत्येक प्रश्न को आज्ञा न देने के कारण बतलाने होंगे। यह कारण गलत भी हो सकते हैं। मुझे यहां वादविवाद करने के पश्चात क्या आज्ञा न देने के कारण भी बताने होंगे ? क्या यह संभव है ? क्या मुझे यह भी बताना होगा कि इस पर कब चर्चा होगी, क्यों इस पर चर्चा नहीं हो सकती ? When it is said that he will raise it just now, how can the Speaker discharge his duties. Let it be decided by you.

श्री नाथ पाई : मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं परन्तु यदि प्रश्न के सार पर ध्यान दिया जाता तो मामला सुलझ जाता जो बहुत सरल था। मैं यह नहीं कहता कि आपको कारण बताने चाहिये। और मैं आपसे इस बात पर भी पूर्णतया सहमत हूं कि आपके अधिकारों को चुनौती दी जाये, परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि आपने श्री लिमये का ध्यान सभा में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया होता तो वह संतुष्ट हो जाते अर्थात् यह कि सरकार जानती है कि इन मिलों में कुप्रबन्ध है और वे इन्हें अपने हाथ में लेने का सोच रहे हैं। यदि इस उत्तर की एक प्रति उन्हें भेज दी गई होती तो उन्हें संतोष हो जाता।

अध्यक्ष महोदय : क्या यहां दिये गये उत्तर को उन तक पहुंचाना भी मेरा कर्तव्य है। सभा में प्रत्येक सदस्य को पहले हुए कार्य की जानकारी होनी चाहिये। उन्हें भी इस संबंध में उतना ज्ञान होना चाहियें जितना मुझे है।

श्री नाथ पाई : उनक द्वारा उठाया जानेवाला विषय अत्यावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे किसी और रीति से भी उठा सकते हैं। यदि इसका उत्तर नहीं दिया गया तो वह किसी अन्य प्रस्ताव की सूचना दे देते। और यदि वास्तव में ही यह मामला अत्यावश्यक है तो मैं इसे लेने के लिये तैयार हूं परन्तु मैं इसे ध्यान दिलाने वाली सूचना पर कैसे ले सकता हूं। प्रश्न तो इस बात का है।

Shri Madhu Limaye : Sir,.....

Mr. Speaker : Please allow me to proceed further now.

Shri Madhu Limaye : It has been stated.....

Mr. Speaker : You cannot have a discussion on this matter.

Shri Madhu Limaye : It is not a matter of discussion. Shri Nath Pai had said that if my attention would have been drawn to the answer to this question, I might not have raised it. I had carefully read that answer and only after that I have given calling attention notice and I have given details of the matter in my letter to you. But even then you are not permitting me to raise it. Rule 197 states that any matter of public interest or urgent importance can be raised by simply taking your permission. Does your permission means that you have veto powers or that you might go on exercising veto on every important question.

Taking your permission first means that no such matter might come up without prior information to you. This question had been raised previously, I have read its reply carefully and thereafter I have come to the conclusion that this being a very important issue, therefore the Ministers' attention should be drawn thereto. Therefore, you, may kindly admit it. It is upto you, whether you allow it to be taken up tomorrow or a day after that. This concerns one lakh labourers and their families, it is not an ordinary matter.

Mr. Speaker : Have I the authority to give my ruling or not ?

Shri Madhu Limaye : Not the authority of veto.

Mr. Speaker : Veto means as to who has to decide about it ? In fact we have to see who decides and whether it would be carried out or not ?

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : It would be obeyed.

Mr. Speaker : Whether it is upto every individual member to decide whether my ruling is correct or otherwise ?

Shri Madhu Limaye : Please clarify.

Mr. Speaker : I cannot give any more clarification. I am of the same opinion and I do not find any reason why I should amend it now.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, on another important matter....

Mr. Speaker : I cannot any question to be put like this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is a very important issue. How are we going to get back the territory now in possession of China and Pakistan .....

Mr. Speaker : How can he raise it like this ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Prime Minister is sitting here.

Mr. Speaker : Not like this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Then how they could be raised ?

Mr. Speaker : He may resume his seat.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—(जारी)

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE *Contd.*

(2) अल्जीयर्स में होने वाले अफ्रीको-एशियाई सम्मेलन का स्थगित किया जाना—जारी

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इन्डोनेशिया में अप्रत्यक्ष षड़यंत्र में चीन को जिस बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी है, और उसके पश्चात चीन से अल्जीयर्स सम्मेलन के स्थगन की जो जोरदार वकालत की है क्योंकि उसे अफ्रिकी एशियाई भूखण्ड में समर्थन प्राप्त न कर सकने का भय था, जबकि भारत ने सदा ऐसे स्थगन का विरोध किया था, तो इस दृष्टि से क्या अनिश्चित काल के लिये इस स्थगन का जिसका अर्थ इस सम्मेलन का कभी न होना है, का अर्थ

[श्री हरि विष्णु कामत]

चीन की कूटनीतिक विजय और भारत की कूटनीतिक हार है ? और क्या यह अफ्रीकी एशियाई सुदृढ़ता को यह धक्का, जिसका निर्देश वक्तव्य में किया गया है, इतना गहरा है कि भविष्य में यह शिखर सम्मेलन हो पाना लगभग असम्भव ही दिखाई देता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यदि मैं यह प्रश्न ठीक से समझ पाया हूं तो मुझे दो बातों का उत्तर देना होगा। एक यह कि यह चीन की कूटनीतिक जीत और भारत की कूटनीतिक हार है। यदि तराजू में तोला जाये तो मेरे विचार में यह चीन की कूटनीतिक जीत नहीं कही जा सकती यद्यपि वे इसके स्थगन के पक्ष में थे और इसके लिये उन्होंने कई देशों की सरकारों को मिलकर इसका प्रयत्न किया था। सच यही है कि जब अल्जीरियाई सरकार ने यह सम्मेलन बुलाने का निश्चय अन्य देशों पर स्पष्ट किया तो अधिकतर देश इसी के पक्ष में थे। यद्यपि वे अल्जीयर्स गये, परन्तु उन्होंने यही निश्चय किया कि इसे स्थगित कर दिया जाये क्योंकि अधिकतर राज्यों के मुखिया इसमें उपस्थित नहीं हो सकते थे।

दूसरी बात यह थी .....

श्री हरि विष्णु कामत : एकता को गहरा धक्का .....

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने स्वयं ही कहा था कुछ सीमा तक यह ठीक है--इसलिये नहीं कि सम्मेलन स्थगित हो गया, परन्तु इसलिये कि इस समय यह समैक्य के अभाव का लक्षण है और यह उन मतभेदों की पुष्टि करता है जो कुछ समय से अफ्रिकी एशियाई एकता के सिद्धान्त में उत्पन्न हो रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न था कि क्या निकट भविष्य में अफ्रीकी एशियाई शिखर सम्मेलन वास्तव में असम्भव ही है।

श्री स्वर्ण सिंह : इसका उत्तर मैं अपने मुख्य उत्तर में दे चुका हूं।

Shri Madhu Limaye : Whether it is a fact that our neighbours like Nepal aud Ceylon supported China instead of India on the policy adopted by the Government there regarding the items to be included in the agenda of the Afro-Asian Conference ? If so, whether Government contemplates to review their foreign policy with a view to improving our relation with the neighbouring countries ?

Shri Swaran Singh : It has always been our desire and endeavour to strengthen our friendship with them and I can say that there is great friendship. It would not be correct to say that they sided with China in this regard. China wanted no country to attend. Both Nepal and Ceylon attended in. Perhaps, Burma did not go.

Shri Madhu Limaye : Burma is also our neighbour.

Shri Swaran Signh : In my opinion, we have very cordial relations with Burma. Regarding his question of change in our policy, I do not think this is needed at all, because we already understand that we should have cordial relations with our neighbours and our mutual relations should be strong.

Shri Madhu Limaye : Sir, you may yourself see what my question was. I had asked that regarding convening the Conference and its postponement India and China stood on different footing altogether. India submitted some questions before the Conference. I want a straight forward reply from the hon. Minister regarding these questions and the postponement of the Conference and whether our

neighbours like Nepal, Ceylon and Burma supported India or China ? The House can very well judge what the Government is doing to strengthen friendship. The answer to my question has not been .....

Mr. Speaker : The reply has already been given that .....

Shri Madhu Limaye : No Sir. The second part of my question referred to the matters raised by us there like the inclusion of Soviet Union in the Conference etc., and what policy was adopted by our neighbouring countries ? What was their policy towards China and India ?

Shri Swaran Singh : China was not present there, hence she did not raise any issue there. Of course, she wanted..... (**Interruption**)

Mr. Speaker : Will he ever stop or not. He has asked for a reply which is being given to him.

Shri Swaran Singh : As I was saying, he wanted no country to go there. In spite of that both Ceylon and Nepal about which the hon. Member has asked had gone there.

The other question was about the support received by the proposals put forward by us. Only two questions were put forward by us. The first was about the participation by Soviet Union, Malayasia and Singapore in the Afro-Asian Conference and the other sensitive question was about the postponement. No country opposed the Soviet participation. Similary all the 22 or 20 countries of course except Indonesia which took part in the deliberations, supported the participation by Malayasia and Singapore. I do not think we should draw any such inference from this that our neighbouring countries opposed us.

Shri Kishen Pattnayak : Has our Government understood this on the basis of past experience that there are four Afro-Asias *i.e.*, Capitalist Afro-Asia, Communist Afro-Asia, Artificial socialist Afro-Asia, and the real socialist Afro-Asia ?

Shri Swaran Singh : It might be correct. There are ideological differences In every country people have different views in regard to economy and politics.

श्री नरसिम्हा रेड्डी : क्या हाल की संयुक्त अरब गणराज्य की कार्यवाही तथा अन्य अरब राष्ट्रों के रवैये को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन राज्यों पर निर्भर करने की नीति छोड़ेगी तथा इज़राईल और फार्मोसा आदि से अपने सम्बन्ध मज़बूत करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य के अरब देशों के बारे में सुझाव से सहमत नहीं हूं ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने पूछा था क्या सम्बन्ध बढ़ाये जायेंगे ?

श्री कपूर सिंह : इज़राईल के साथ राजनैतिक सम्बन्ध ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी यह कोशिश है कि सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये जायें (अन्तर्बाधायें) इज़राईल को मान्यता न देने की कोई बात ही नहीं है हमने उसे मान्यता दे रखी है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह सच है कि चीनने सम्मेलन में शामिल होने के लिये तीन शर्तें रखी थी; यदि हां, तो वे शर्तें क्या है और क्या विदेश मंत्रियों की स्थायी समिति ने उन शर्तों में से किसी को मान लिया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन ने कुछ असंभव शर्तें रखी थीं और उनका सम्मेलन के समय बहुत प्रचार किया था। उन्होंने यह भी कहा था यदि रूस को निमन्त्रित किया गया तो चीन सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। इस बारे में चीन एक गारंटी चाहता था। चीन ने यह भी कहा था कि कुछ विषयों पर चीन की इच्छानुसार संकल्प पास किये जायें। ऐसे सम्मेलन में ऐसी बात नहीं हो सकती। चीन की इस बात के विरुद्ध बहुत सख्त प्रतिक्रिया हुई और सम्मेलन में इन पर विचार नहीं हुआ। ये शर्तें पूरी होना असंभव था।

श्री दी० चं० शर्मा : जब बाडुंग में इस वर्ष पूर्व पहला अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन हुआ था तो हमारे देशने वहां काफी योग दिया था। वास्तव में हमारा देश उस सम्मेलन को बुलाने वाले देशों मे से एक था। क्या मैं जान सकता हूं कि बीच की अवधि में ऐसी कौनसी घटना हुई है जिस के फलस्वरूप अफ्रीकी-एशियाई देशों में हमारा मान कम हो गया है और हमारी आवाज इतनी कमजोर पड़ गई है कि हमारा कोई प्रभाव नही रहा?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे देश ने कई अन्य महत्वपूर्ण अफ्रीकी-एशियाई देशों के साथ मिलकर बांडुंग सम्मेलन के साथ योग दिया था। इस समय भाग लेने वाले देशों के बीच कुछ राजनतिक सम्बन्ध थे। यदि उस समय की परिस्थितियों की तुलना वर्तमान परिस्थितियों से करे तो पता चल जायेगा।

अफ्रीकी एशियाई देशों की एकता तथा पारस्परिक सम्बन्ध हमारे नियन्त्रण में नहीं है। पारस्परिक सम्बन्धों का सम्मेलन के वातावरण तथा एक देश के योग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। म इस बात से सहमत नहीं कि हमारी आवाज़ कमजोर हो गई है। विदेश मत्रियों के सम्मेलन में जहां 45 देशों ने भाग लिया था हमारे देश ने मुख्य प्रस्ताव रखा था क्योंकि सम्मेलन के स्थगित किये जाने का प्रस्ताव मुख्य प्रस्ताव नहीं था। वहां पर आम राय भारत के प्रस्ताव के समर्थन में थी।

श्री हेम बरुआ (गोहटी) : अल्जीयर्स में हमारे प्रतिनिधि द्वारा कोशिश करने के बावजूद चीन इस बात का दावा करता है कि अल्जीयर्स में अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन स्थगित करा कर वह राजनैतिक क्षेत्र में बाजी ले गया है। क्या हमने इस बात की जांच की है कि अफ्रीका के कुछ देशों ने जो साम्यवाद के विरो ी है, अल्जीयर्स में, भारत के विरुद्ध चीन की क्यों सहायता की ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक नहीं कि बहुत से अफ्रीकी-एशियाई देशों ने चीन की सहायता की थी।

श्री हेम बरुआ : मैं ने कहा है कि कुछ।

श्री स्वर्ण सिंह : चीन द्वारा सम्मेलन के स्थगित करने की मांग का एक कारण यह था कि चीन को अफ्रीका में पहले वाला समर्थन नहीं मिल रहा था। इसलिये माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह ठीक नहीं है। चीन द्वारा इसे एक सफलता मानना उसके लिये अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने लोगों को प्रसन्न करने की बात है। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्व में चीन का प्रभाव बढ़ गया है।

Shri Vishwanath Pandey : The hon. Minister has said that India tried that the Conference should be held but due to circumstances it was postponed. It has been postponed many times. I want to know whether it will be held in future and what would be Government's reaction ?

Shri Swaran Singh : I had placed a statement on the table yesterday in this regard.

Shri Yudhvir Singh : It has become clear after the India-China conflict as to which countries are with India and China. What were the reasons for India's anxiety for getting this Conference convened ?

Shri Swaran Singh : On being asked by Algeria whether they would attend the conference, about 45 countries, *i.e.*, a big majority were in favour of this conference being held. In this situation it was natural that we should ask for this conference. We had made clear that if majority does not want this conference we would go by that. To take every thing as a reverse is not proper.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This conference has done little for the progress of Asia. It has been used as a propaganda forum. What steps are being taken by Government for holding this conference ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब भी सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव हो हम देखेंगे कि परिस्थितियां कैसे हैं। उस के अनुसार ही हम निर्णय करेंगे। मेरे विचार में निकट विषय में इस सम्मेलन के बुलाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार को कब पता चला कि सम्मेलन बुलाने वाला देश अल्जीरिया भी सम्मेलन के स्थगित किये जाने का समर्थक है। क्या यह भारत के प्रतिनिधि मंडल के भारत से रवाना होने से पहले था तो क्या पूरे प्रतिनिधि मंडल को भेजना आवश्यक था ? क्या केवल सेक्रेटरी जनरल का जाना पर्याप्त नहीं था ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो केवल चर्चा के समय पता चला कि अल्जीरिया सरकार सम्मेलन के बुलाये जाने के लिये अधिक उत्सुक नहीं थी। सम्मेलन के बुलाये जाने के ठीक समय तक ही नहीं बल्कि सम्मेलन के आरंभ होने तक अल्जीरिया सरकार चाहती थी कि सम्मेलन हो। अल्जीरिया के विदेश मंत्री मुझे दो तीन दिन पहले न्यूयार्क में मिले थे और उन्होंने सम्मेलन के बुलाये जाने की बात कही थी।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT (Query)

Dr. Ram Manohar Lohia (Forrakhabad) : Sir, you had promised that after consulting the Prime Minister .....

Mr. Speaker : I have seen your papers this morning. You will be informed accordingly.

Dr. Ram Manohar Lohia : When will this information be given to me ?

Mr. Speaker : One of your notice, as I remember, is regarding discussion on Haji Pir pass. It would be decided by Business Advisory Committee. Some members have asked for a discussion on Indo-Pakistan conflict. If the House wants we can give some time for this.

Dr. Ram Manohar Lohia : The matter regarding Haji Pir pass has become a difficult question. The Prime Minister has said that we would withdraw from Haji Pir pass and Tittwal under certain condition. He had previously given an assurance to the House that under no circumstances we would withdraw from

[Dr. Ram Manohar Lohia]

Haji Pir pass. It does not become of a Prime Minister to break promises like that. There should be a separate discussion on that. Only day before yesterday he has said that we would withdraw from Haji Pir pass, if we are satisfied in regard to infiltrators. I feel my adjournment motion in this regard should be accepted.

Besides this my motion is regarding Rajasthan areas which have been taken over by Pakistan. Whatever the Prime Minister and others have said about Rajasthan areas is all wrong, because more Indian areas are under Pakistan. This should also be discussed.

Mr. Speaker : Dr. Saheb, how can you discuss everything in this way. I cannot allow like this. You will get chance during discussion on foreign affairs. There cannot be a separate discussion on this.

Dr. Ram Manohar Lohia : During the month of September Government has achieved success in two things and has failed on in two others. The number of failures is increasing.

Mr. Speaker : This is no occasion for criticising like that.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) **:** I should be given a chance to speak. I have given a notice. I had said that Shri Namboodripad has said that the areas taken over by Pakistan and China should not be taken back .....

Mr. Speaker : I have disallowed that. No member should go on speaking like that.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : You should give time to those who observe discipline.

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order.

Mr. Speaker : The House is observing since morning that Shri Madhu Limaye has been obstructing the proceedings. I cannot allow like that. He wants to flout me. It cannot be tolerated. He is challenging me also. This cannot be allowed.

Shri Madhu Limaye : I have not said that.

Mr. Speaker : He should stop, when I say to do that.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रमाणित लेखा परीक्षक (संशोधन) नियम, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत योजनायें

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रमाणित लेखा-परीक्षक (संशोधन) नियम, 1965, की एक प्रति जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1965, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1480 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5111/65।]**

(2) बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1949, की धारा 45 की उपधारा (11) के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) मलनाद बैंक लिमिटेड के स्टेट बैंक आफ मैसूर के साथ एकीकरण की योजना जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1965, के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3173 में प्रकाशित हुई थी;

(दो) जोसना बैंक लिमिटेड, कोचीन के लार्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड क्रैंगानोर के साथ एकीकरण की योजना जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3175 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5112/65।]**

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965, को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963, की धारा 130 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति जिन के द्वारा केरल भूमि सुधार (पट्टेदारी) नियम, 1964, में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 298/65 जो दिनांक 27 जुलाई, 1965, के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 315/65 जो दिनांक, 10 अगस्त, 1965, के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 334/65 जो दिनांक 24 अगस्त, 1965, के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5114/65]**

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात त्रुटि (सामान्य) सातवां संशोधन नियम, दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1964, की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 68वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1965, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1466 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रख गये। देखिए संख्या एल० टी० 5115/65।]**

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 70वां संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1965, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1514 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5116/65।]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1515 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1965, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5118/65।]**

[श्री रामेश्वर साहू]

(दो) जी० एस० आर० 1539 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1965, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5119/65 ।]**

(तीन) जी० एस० आर० 1585 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1965, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5121/65 ।]**

(चार) जी० एस० आर० 1569 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5120/65 ।]**

(3) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय-कर) अधिनियम, 1941, की धारा 26 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय-कर (संशोधन) नियम, 1965, की एक प्रति जो दिनांक 29 जुलाई, 1965, के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(98)/64-फिन(ई) में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5110/65 ।]**

(4) आय-कर अधिनियम, 1961, की धारा 280-जेडई की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1491 की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्बर, 1965, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5117/65 ।]**

रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) विधेयक—जारी

RAILWAYS (EMPLOYMENT OF MEMBERS OF THE ARMED FORCES) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम डा० द० म० राजू द्वारा 8 नवम्बर, 1965, को प्रस्तुत किये गये निम्न-प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :—

"कि रेलवे के कार्य-संचालन तथा प्रबन्ध में संघ की सशस्त्र सेना के व्यक्तियों के नियोजन संबंधी कतिपय उपगन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं रेलवे के कर्मचारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने इस कठिन स्थिति में बहुत अच्छा कार्य किया है । उन्होंने बड़ी सतर्कता से अपना काम किया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेलवे ने पूरे देश में बहुत अच्छे कार्य का परिचय दिया है । मुझे पंजाब तथा राजस्थान के बारे में विशेष रूप से मालूम है । वहां पर बहुत तत्परता से कार्य हुआ है । देश को इस पर बहुत गर्व है । मेरे

निर्वाचन क्षेत्र पर पाकिस्तान के आक्रमण का विशेष प्रभाव पड़ा है। वहां पर कई स्थानों पर बमबारी हुई है और लोगों को बहुत हानि का सामना करना पड़ा है। गुरदासपुर जिले के लोगों की मैं सराहना करता हूं क्योंकि उन्होंने बड़े धैर्य और वीरता का परिचय दिया है।

साथ ही हाथ मैं महसूस करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक महत्वपूर्ण तथा सारवान है क्योंकि ऐसे भी अवसर आते हैं जब हमारे असैनिक बल उतनी दक्षता से कार्य नहीं कर सकते जितनी दक्षता से हमारी सशस्त्र सेनाएं कर सकती हैं। शीघ्र अथवा देर से, कभी न कभी सैनिक प्राधिकारियों को भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी लाइनों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा क्योंकि वे यात्रियों की अधिक सुरक्षा तथा माल की अधिक अभिरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और देश देश में यातायात सम्बन्धी गतिविधियों को अधिक अच्छी तरह बनाये रख सकते हैं देश की भविष्य में रक्षा करना ही प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य है।

सशस्त्र सेनाओं को सुदृढ़ करने तथा रेलवे को सुरक्षित करने की दृष्टि से फिरोजपुर, गुरदासपुर तथा अन्य जैसे सीमावर्ती जिलों के 15 मील के अन्दर सशस्त्र क्षेत्र बनाये जाने चाहिए, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि उस 15 मील क्षेत्र के अन्दर रहने वाले लोगों को यथासंभव पूर्णतः सशस्त्र किया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी साधन की तेजी से व्यवस्था करके उन्हें दृढ़ किया जाना चाहिए। वायु आक्रमणों का सामना करने के लिए यथा संभव विमान-भेदी तोपों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

जिन गैर-सरकारी मोटर-गाड़ियों आदिने पाकिस्तानी आक्रमण के समय सरकार की मदद की है, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत विधेयक स्वागत योग्य है क्योंकि इसमें सैनिक कर्मचारियों को माल, सामान तथा प्रत्येक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए निश्चित जिम्मेवारी-सौंप देने की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक उन्हें वे विशेषाधिकार भी देता है जो रेलवे कर्मचारियों को प्राप्त हैं।

मैं यह सुझाव भी दूंगा कि मंत्री महोदय को नौसेना तथा रेलवे पर लागू होने वाला व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सीमावर्ती जिलों के लोक अपनी सुरक्षा अच्छी प्रकार कर सकें और वे सशस्त्र सेनाओं के लिए शक्ति का वास्तविक स्त्रोत बने।

Shri Onkar Lal Berwa (Katah) : Mr. Deputy Speaker, Sir, at the very outset, I would like to express our gratitude to all those Railway Workers and army personnel who sacrificed utmost and also at the cost of their lives, in the course of the performance of their duties assigned to them during the present emergency.

I whole-heartedly welcome the Bill brought before the House. While supporting this measure, I would like to suggest that all facilities and privileges due to Railway workers should be extended to army personnels as well. At the same time, Railway employees particularly running staff such as Railway Guards, Engine Drivers, T.T's. and others should be imparted training in the use of certain arms and weapons and should be armed to the extent required during the emergency so that they may depend themselves. I agree with the view expressed by hon. Member Shri D. C. Sharma in regard to the supply and use of anti-aircrafts guns.

Lastly, I would suggest that the bereaved families of those who laid down their lives in the defence of the country and those ones who bore the brunt of the agression should be given all kinds of facilities.

श्री व० ब० गांधी (बम्बई मध्य-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक को सभी भागों से आम समर्थन प्राप्त हो रहा है। रेलवे-सेवा में कार्य कर रही सशस्त्र सेनाओं को नियमित रेलवे-सेवा के सदस्यों को साथ समानता दी जानी उचित ही है। उन्हें भी रेल कर्मचारियों की भांति

[श्री व० ब० गांधी]

संरक्षण मिलना चाहिये क्योंकि संरक्षण के बिना उनके लिए रेलवे सम्पत्ति की देखरेख करना तथा हिदायतें देना संभव नहीं है। आपातकाल में सशस्त्र सेनाओं का रेलवे सेवाओं की सहायता करना कोई असाधारण बात नहीं है। सम्पूर्ण विश्व में गंभीर आपात कालीन स्थितियों में ऐसा किया जाता है।

सशस्त्र सेनाएं कुछ मामलों में अधिक दक्षता से काम करने में समर्थ होती हैं, कुछ दृढ़ रह सकती हैं, अधिक कठिन व कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं, उनमें अनुशासन का कुछ तत्व होता है और इन सब बातों के अतिरिक्त उनमें कुछ पहल की शक्ति होती है जिसका आपातकाल के समय बहुत महत्व है।

सशस्त्र सेनाओं द्वारा रेलवे सेवाओं की सहायता किये जाने पर रेलवे सेवाओं की योग्यता पर आक्षेप नहीं है।

इस विधेयक का उद्देश्य यह नहीं कि रेलवे सम्पत्ति की रक्षा अथवा देखभाल सशस्त्र सेना को करनी होगी। लेकिन संकट के समय यह आवश्यकता हो सकता है कि रेलवे का प्रबन्ध, देखभाल आदि पूर्ण अथवा आंशिक रुप से सेना को अपने हाथ में लेना पड़े। ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे अधिनियम नहीं लागू होगा बल्कि सेना अधिनियम लागू होगा यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं मंत्री महोदय से कुछ बातों का स्पष्टिकरण चाहूंगा। यह कहा गया है कि आपातकाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब सशस्त्र सेनाओं की रेलवे प्रशासन अपने हाथ में लेना पड़े।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Deputy Speaker, Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ती हो गई है।

श्री प्रिय गुप्त : उद्देश्य और कारणों के विवरण के पहले भाग में यह कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को रेलवे में इस प्रकार काम करने पर रेलवे कर्मचारियों के समान वे सब अधिकार, स्तर, विशेषाधिकार दिलाना और दायित्व सौंपना आवश्यक है, जो भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते है। इसके बाद के भाग में यह कहा गया है कि सेना द्वारा प्रशासन हाथ में लेने की अवधि में भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 लागू नहीं होना चाहिये।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : बाद के भाग के लिए उनपर भारतीय सेना अधिनियम लागू होगा।

श्री प्रिय गुप्त : दुसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में रेलवे प्रशासन सेना हाथ में लेगी क्या वहां सभी कार्य जैसे गार्ड, ड्रायवर, प्वाइंटमॅन आदि सभी का काम सेना के लोग करेंगे या कुछ रेलवे कर्मचारी भी रहेंगे यदि केवल सेना के लोग रहेंगे तो ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किस आधार पर किया जायेगा और क्या इस अवधि में भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये सुरक्षा तथा संचालन सम्बन्धी नियम लागू नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि इन नियमों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है।

द्वितीय विश्व युद्ध में 1942–45 में जब पूर्वी भाग का प्रशासन अमरीका के सशस्त्र सैनिकों को सौंपा गया था तो उन्होंने स्टेशन मास्टरों, कंट्रोलरों, फायरमैन आदि रेलवे कर्मचारियों के

साथ मिलकर काम किया था द्वितीय युद्ध के ... ऐसी स्थिति में रेलवे कर्मचारियों को सेवा की शर्तों, मजदूर संघ संबंधी अधिकार तथा उनके साथ किये गये करारों से प्राप्त अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था मैं जानना चाहता हूं कि इन सब बातों के बारे में स्थिति क्या होगी। अपील और अनुशासन नियमों का क्या होगा। क्या जनता को माल भेजने तथा मंगाने और गाड़ियों के ठीक-ठाक चलने के मामले में आर० सी० ए० नियमों के अनुसार सुविधायें मिलती रहेंगी।

द्वितीय विश्व युद्ध में रेलवे कर्मचारियों को युद्ध प्रयास में सहयोग करने के लिये 25 प्रतिशत भत्ता दिया गया था। हम सबने फीरोजपुर, गुरदासपुर, जोधपुर, अम्बाला आदि स्थानों में मातृ-भूमि की रक्षा हेतु प्राणों की आहुती देने वाले रेलवे कर्मचारियों के त्याग की सराहना की है, मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों के स्थान पर सैनिकों को लगाने का कारण देश का हित है अथवा इसका कारण रेलवे कर्मचारियों की अकुशलता है। अन्त में मैं उन सब रेलवे कर्मचारियों के प्रति उद्गार प्रकट करता हूं जो रात-दिन एक करके काम करते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय उन्हें उचित सुविधायें प्रदान करेगा और उन्हें युद्ध भत्ता दिया जायेगा। बिहार, आसाम और बंगाल के कुछ भागों में चावल 2.75 रु० प्रति किलो के भाव पर मिलता रहा है। अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। जिस तरह गाड़ियों के चलने के लिये कोयला आवश्यक है उस तरह आदमियों के लिए खाना। प्रधान मंत्री कहते हैं कि एक रात खाना छोड़ दो। केवल इससे समस्या हल नहीं होगी। मैं पूछता हूं कि भाव क्यों बढ़ रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I rise on a point of order. There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सभा में गणपूर्ति रखें। अब गणपूर्ति हो गई है।

Shri A. S. Saigal (Janjgir) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I wanted to submit that the Armed Forces personnel should be provided all the facilities enjoyed by the Railwaymen under the Indian Railway Act, 1890. I would like to clarify one point raised by Shri Gupta that this does not mean that the railwaymen lack in efficiency. Though I support this Bill I am of the opinion that all our difficulties and problems should have been visualised and a comprehensive Bill embodying measures to give maximum facilities to the army personnel during the period of emergency should have been brought forward. The Railway Act should also be suitably amended for the purpose. This piece meal bill will not be of much avail, with these words I support this measure.

श्री द० स० राजू : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक दो सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने इस विधेयक का पूर्ण रुप से समर्थन किया है। विधेयक में, एक प्रकार से, दो खण्ड हैं। दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। एक तो यह कि सेना रेलवे प्रशासन की सहायता करे और दूसरे यह कि सेना कुछ रेलवे लाइनों अपने हाथ में ले ले। जब सैनिक कर्मचारियों को इस काम पर लगाया जाता है तो वे रेलवे कर्मचारी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इस लिये उनके द्वारा रेलवे सम्पत्ति की देखभाल, आदेश जारी करने आदि में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिये उन्हें रेलवे कर्मचारियों के समान स्तर, विशेषाधिकार, अधिकार आदि देना और साथ ही उनके समान दायित्व सौंपना आवश्यक हो गया। इस हेतु खण्ड 3 रखा गया है। खण्ड 4 उस समय लागू होगा जब रेलवे लाइन का कोई भाग सेना पूर्ण रुप से अपने हाथ में ले ले, जिस स्थिति में इस प्रकार काम पर लगाये गये सैनिक कर्मचारियों पर रेलवे अधिनियम लागू नहीं बल्कि सेना अधिनियम लागू होगा।

[श्री द० स० राजू]

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि यदि सैनिक कर्मचारि कोई रेलवे लाइन अपने अधिकार में ले ले तो वहां पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों का क्या होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें हटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कुछ उन्हें को दूसरे स्थानों पर भेज दिया जायेगा और कुछ वहां काम करते रहेंगे।

श्री प्रिय गुप्त : जितने सैनिक कर्मचारी काम पर लगाये जायेंगे क्या उतने ही रेलवे कर्मचारी कम कर दिये जायेंगे ?

श्री द० स० राजू : यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। इतना बड़ा देश है और अनेक रेले हैं जहां वे काम कर सकते हैं।

श्री प्रिय गुप्त : पहले ही उनके फालतू होने की घोषणा की गई है।

श्री द० स० राजू : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। काफी रेलवे यूनिट हैं, उन्हें प्रादेशिक सेना यूनिट कहा जाता है और जिनमें रेलवे कर्मचारी काम करते हैं। इस लिये सैनिक अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि पहले रेलवे कर्मचारियों के इन प्रादेशिक सेना यूनिटों को काम पर लगाये और फिरभी यदि आवश्यक हो तो उनकी सहायता के लिये अन्य सेना की यूनिटों को लगाया जायेगा।

श्री प्रिय गुप्त : जब सेना की युनिटें रेलवे प्रशासन अपने हाथ में लेती है, तो क्या सैनिक कर्मचारी और रेलवे कर्मचारी दोनों साथ साथ काम करेंगे ?

श्री द० स० राजू : यही तो मैंने कहा है, वे तो केवल सहायता करेंगे।

श्री वारियर (त्रिचूर) : इस बात की गारन्टी दी जानी चाहिये कि सेना द्वारा किसी रेलवे लाइन का प्रशासन अपने हाथ में भी लेने के कारण फालतू होने वाले कर्मचारियों की छटनी नहीं की जायेगी।

श्री द० स० राजू : वे रेलवे मंत्रालय अथवा रेलवे प्रशासन के स्थायी कर्मचारी हैं, इसलिये उन्हें किस तरह निकाला जा सकता है। कोई छटनी नहीं की जायेगी।

माननीय सदस्यों ने रेलवे प्रशासन और रेलवे कर्मचारियों की बहुत प्रशंसा की है और उनके प्रति बहुत अच्छे उद्गार प्रकट किये हैं। मैं भी पूर्णरुप से इसमें उनका सहयोग करता हूं। उन्होंने अत्युत्तम कार्य किया है। इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने से यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि रेलवे कोई प्रशासन कार्यकुशल नहीं है अथवा उसमें कोई कमी है। कुछ प्रादेशिक सेना यूनिटों को अग्रिम क्षेत्रों में काम पर लगाया गया था और हमारा यह अनुभव है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमें भविष्य में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिये। हो सकता है कि हमें कही अधिक बड़ी और तेज़ लड़ाईयां लड़नी पड़े जिसमें हमें कहीं सशस्त्र सेनाओं को लगाना पड़े। हो सकता है ऐसी लड़ाईयों में शहर, रेलवे स्टशन, माल-डिब्बे आदि नष्ट हो जाये। नागरिक व्यवस्था ठप्प हो जाये। ऐसी परिस्थितियों में सेना की यूनिटें काम को अधिक अच्छी प्रकार कर सकती हैं। ऐसे आपात काल को ध्यान में रखकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

जहाजरानी बोर्ड के प्रधान, श्री रघुनाथ सिंह ने कहा कि व्यापारिक जहाजरानी के बारे में भी ऐसा विधान बनाना चाहिये। वास्तव में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत व्यापारिक जहाजरानी को अपने हाथ में लिया जायेगा। हाल के युद्ध में भी दो जहाजों को नौसेना ने लिया था जिसमें

से एक अब भी नौसेना के पास है। एक माननीय सदस्य ने सड़क परिवहन के बारे में यही बात कही। भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत आपातकाल में ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए कोई और विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि इस विधेयक की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने इसपर समुचित ध्यान नहीं दिया है और इसलिये उन्होंने न तो इसका विरोध किया है और न ही पूर्ण रुप से समर्थन किया है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह भी कहा कि भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 71-ग (4) में पहलेही व्यवस्था है, अतः अध्याय 6-क के उपबन्ध लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में धारा 71-ग (4) काम के घंटे, विश्राम के घंटे, समयोपरि भत्ते आदि के बारे में है। वर्तमान उपबन्ध पुल टूट जाने अथवा दुर्घटना हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों में संकट के समय लागू होंगी सेना अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें समयोपरि भत्ता नहीं मिलेगा।

श्री प्रिय गुप्त : सेना के कर्मचारियों को यह न मिलें लेकिन रेलवे कर्मचारियों को अधिनियम में व्यवस्था के अनुसार मिलना चाहिये।

डा० द० स० राजू : रेलवे कर्मचारियों को रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत सभी लाभ पाने का हक है। लेकिन यदि वे सेना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं तो यह सब उन्हें नहीं मिलेगा।

श्री प्रिय गुप्त : क्या आपना अभिप्राय यह है कि सेना अधिनियम सैनिक कर्मचारियों पर लागू होगा और रेलवे अधिनियम रेलवे कर्मचारियों पर?

डा० द० स० राजू : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के कार्य-संचालन तथा प्रबन्ध में संघ की सशस्त्र सेना के व्यक्तियों के नियोजन संबंधी कतिपय उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 4 was added to the Bill.*

नया खण्ड 5

संशोधन किया गया।/*Amendment made.*

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 29 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाय —

Repeal and saving.

"5. (1) The Railways (Employment of the Armed Forces) Ordinance, 1965 is hereby repealed.

(2) Not withstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had commenced on 29th day of September, 1965."

निरसन और बचाव ।

["5. (1) रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) अध्यादेश, 1965 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत की गई कोई भी बात अथवा की गई कोई भी कार्यवाही को इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई समझा जाये मानो कि यह अधिनियम 29 सितम्बर, 1965 को आरम्भ हो गया हो"। (2) [डा० द० स० राजू]

नया खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*New Clause 5 was added to the Bill.*

खण्ड 1

संशोधन किया गया ।/*Amendment made*

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 6 और 7 निकाल दी जाये ।(1) [डा० द० स० राजू]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

डा० द० स० राजू : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मंत्री महोदय ने जो कुछ अभी कहा है उससे मैं समझता हूं कि रेलवे प्रशासन सेना के हाथ में होगा परन्तु तकनीकि कार्य रेलवे कार्मचारियों ही करेंगे तथा सुरक्षा नियमों, रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और विशेषाधिकार आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा यहां दिये गए आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिए रेलवे मंत्रालय को सूचित कर दिया जायेगा । अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जनता को सेना के प्रशासन में रेलवे लाइनों पर यात्रा करने तथा माल लाने-ले जाने की सुविधायें प्राप्त होंगी । तीसरी बात मैं यह फिर से दोहराना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले

रेलवे कर्मचारियों को मोर्चा भत्ता मिलाना चाहिये और उनके लिए सस्ते अनाज की दुकाने खोली जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि रेलवे तथा खाद्य मंत्रालय को इस सम्बन्ध में प्रबन्ध करने की सूचना दे दें।

प्रतिरक्षा मंत्रालय मे उपमंत्री (डा० द० स० राज) : यह राष्ट्रीय संकट है। देश की रक्षा की ओर सबसे पहिले ध्यान देना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए इन सब प्रस्तावों पर उचित रूप से विचार किया जायेगा। रेलवे मंत्रालय को इन बातों की सूचना दे दी जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो वे नियम बनायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

स्थायी श्रम समिति ने, जो एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय संगठन है, 27 सितम्बर, 1963 को नई दिल्ली में हुए अपने इक्कीसवें अधिवेशन में औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की थी। इस विधेयक का उद्देश्य उन सिफारिशों तथा कुछ अन्य प्रस्तावों को लागू करना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(क) के अन्तर्गत इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया कारपोरेशन के बारे में औद्योगिक विवाद राज्य क्षेत्र में आते हैं। औद्योगिक विवाद संबंधी वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इन्हें कृषि वित्त निगम तथा जमा बीमा निगम की तरह केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लाना है। इससे केन्द्रीय सरकार विवादों के निपटाने में शीघ्रता से एकसी कार्यवाही कर सकेगी। प्राय: राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है। अधिनियम की धारा 2 (त) और 12(3) में अन्य बातों के अतिरिक्त यह व्यवस्था है कि समझौते के करार अथवा समझौते के ज्ञापन की एक प्रति सम्बन्धित सरकार को भेजी जानी चाहिये। अब यह विचार है कि सम्बन्धित सरकार को तथा उसके अधीनस्थ अधिकारियों को भी प्रति भेजने की बजाय इस सम्बन्ध अधिकार दिये गये अधिकारी को ही भेजी जाये।

न्यायालयों का विचार यह रहा है कि किसी एक कर्मचारी का किसी मालिक से विवाद औद्योगिक विवाद नहीं माना जा सकता जब तक कि कर्मचारी संघ अथवा कुछ कर्मचारी मिलकर इस बात को उठायें। ऐसे मामलों को भी औद्योगिक विवादों के अन्तर्गत लाने के लिए अधिनियम में उपबन्ध करने का प्रस्ताव है अधिनियम की धारा 25 ग में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि पहले 45 दिन के बाद जबरी छुट्टी के सभी दिनों के लिए प्रतिकर दिया जा सके चाहे वह लगातार एक सप्ताह के लिए हो या नहीं। अधिनियम के खण्ड 29 में समझौतों अथवा पंचाटों का बारबार उल्लंघन करने के मामले अधिक कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था नहीं है। इससे समझौतों और पंचाटों के क्रियान्वित होने में रुकावट पड़ती है। अतएव पहले उल्लंघन के बाद उल्लंघन करते रहने पर उपयुक्त सज़ा दिये जाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : यह एक बुराई और अच्छाई का मिला-जुला विधेयक है। मैं समझता हूं कि बुरी बातें कुछ अधिक ही होंगी। एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि इस प्रकार के छोटे संशोधन क्यों किये जाते हैं। त्रिपक्षीय सम्मेलन और त्रिपक्षीय स्थायी समिति में समय-समय पर होने वाली चर्चा को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया कारपोरेशन को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा रहा है। लेकिन बहुत अन्य कर्मचारी है जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों का लाभ केवल इस आधार पर नहीं मिलता कि वे "वर्कमैन" की परिभाषा में नहीं आते हैं। उदाहरण के रूप में अस्पतालों के कर्मचारियों को ही ले लें। कोई नहीं चाहता कि अस्पतालों में काम रुके। उनकी भी शिकायतें होती हैं जो दूर की जानी चाहिये। लेकिन यह एक अजीब बात है कि उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। इसलिए कितना ही सद्भाव क्यों न हो आप अस्पतालों में हड़ताल अथवा काम बन्द होना नहीं रोक सकते। उनके पास इसके अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं है।

उनको अस्पतालों, शिक्षा संस्थाओं आदि में होने वाले इन विवादों का पूर्ण ज्ञान है। संभव हैं इस मामले में भी उनकी मांगें सही हो इसलिए इस अधिनियम को इस संबंध में भी लागू किया जाना चाहिए। इसीलिए इस संशोधन का स्वागत करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि धारा 2 अपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय निकट भविष्य में धारा 2 का संशोधन करेंगे तथा कामगार की परिभाषा में परिवर्तन करेंगे जिससे समाज के अन्य कर्मचारी भी कामगार की परिभाषा में आ जायें ।

मैं धारा 2 ब का भी स्वागत करता हूं तथा इसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी कि ऐसा कर्मचारी जो किसी भी संघ तथा फेडरेशन का सदस्य न हो वह विवाद होने पर अपना मामला न्याय निर्णय के लिए स्वयं पेश कर सकता था। परन्तु बीच में ऐसा कर दिया गया कि कोई अकेला स्वयं ऐसा नहीं कर सकता था। उसको अपने संघ के द्वारा ही ऐसा करना पडता था। मुझे प्रसन्नता है कि पहले वाली व्यवस्था को पुनः लाग कर दिया गया है और अब कोई विवाद होनेपर अकेला कर्मचारी अपने विवाद को स्वयं न्याय निर्णय के लिए पेश कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी इसमें कुछ कमी रह गई है जो दूर की जाने चाहिए। जैसे कोई भी कर्मचारी न्यायनिर्णय की मांग तभी कर सकता है जब उसको सेवामुक्त कर दिया गया हो परन्तु यदि उसे तंग किया गया हो तो वह ऐसा नही कर सकता। तंग इस प्रकार किया जा सकता है कि उसका स्थानान्तरण बहुत दूर कर दिया जाये अथवा ऐसा कोई आदेश उसको दिया जाये जिससे उसकी नींद खराब हो जाये। ऐसे मामलों में भी कर्मचारी को अपना मामला न्यायालय के निर्णय के लिए भेजने का अधिकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंत्रालय को न्यायनिर्णय से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी बढानी चाहिए जिससे ये मामले शीघ्र निपटाये जा सकें। न्यायनिर्णय अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय न्यायाधिकरण आदि की ओर नियुक्ति होनी चाहिए जिससे कर्मचारियों को कष्ट न हो।

अधिनियम की धारा 29 को मेरा समर्थन पूर्ण नहीं है। इस धारा के पहले भाग का मैं समर्थन करता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि अधिनियम के उपबन्धों को भंग करने वाले मालिक को भंग करने के प्रत्येक मामलों के लिये 200 रुपये का दण्ड दिया जायेगा। परन्तु धारा के अन्तिम भाग में यह उपबन्ध किया गया है कि जब तक पहली बार उल्लंघन का मुकदमा तक नहीं हो जाता तब तक दूसरी बारके उल्लंघन के लिए उसको दण्ड नहीं दिया जा सकता है। परन्तु मालिक को कौन दण्ड दिला सकता है तथा कौन उस पर मुकदमा चला सकता है। यह काम तो सरकार का है और सरकार मालिकों पर बहुत कम मुकदमे चलाती है। इस लिए "पहले का दण्ड मिलने के बाद" शब्द इस धारा में मेरे विचार से नहीं लाने चाहिए।

मैं धारा 25 के स्थानपर नई धारा रखे जाने के उपबन्ध का विरोध करता हूं। मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं कि कर्मचारियों को उत्पादन आदि के लिए प्रोत्साहन दिया जाये परन्तु मुझे यह बडा ही अजीब लगा कि मालिक को ऐसे प्रोत्साहन दिए जाये जिनसे वह कर्मचारी को किसी भी प्रकार तंग कर सकें। मालिक कर्मचारी को बाधा करेगा कि वह इस प्रकार का करार कर ले कि 45 दिन समाप्त हो जाने के बाद 46 वें दिन भी यदि काम न रहे तो मालिक 45 दिन का ही मुहावजा देगा। यह बडा ही खतरनाक उपबन्ध है और इसको नहीं रखा जाना चाहिए। इसी धारा में यह भी उपबन्ध है कि यदि किसी कर्मचारी को बारह महिने होने तक कभी भी काम न दिए जाने का मुहावजा मिल गया हो तो उसको छंटनी के मुहावजें में से कम कर दिया जायेगा। यह उपबन्ध बडा ही गलत उपबन्ध है क्योंकि उसको मुहावजा जो मिला है वह मालिक की गलती के कारण मिला है। इसीलिए इसको छंटनी के मुआवजों में से कम नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध को इस अधिनियम में से निकाल दिया जाना चाहिए।

विधेयक में यह दिया गया है कि जो बदली के कर्मचारी एक वर्ष तक लगातार काम करते रहेंगे उनको काम न मिलने का मुहावजा मिलेगा। मेरा 25 वर्ष का पटसन उद्योग का अनुभव यह हैं कि कोई भी बदली कर्मचारी पूरे एक वर्ष तक काम नहीं करता है। मैं मानता हूं कि ऐसा भी उपबन्ध है बदली कर्मचारी के 240 दिन-पूरे वर्ष तक काम के दिन माने जाते हैं। परन्तु मेरा अपना अनुभव यह है कि बदली कर्मचारी के 240 दिन भी पूरे नहीं हो पाते हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि वह बदली कर्मचारी जो रजिस्टर्ड हो पर यह शर्त लागू नहीं की जानी चाहिए। उसको तो अन्य स्थायी कर्मचारियों के समान ही काम न दिए जाने का मुहावजा दिया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि यह एक छोटासा विधेयक है और इससे सभी समस्यायें हल नहीं हो पायेंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Deputy Speaker, I rise on a point of order. There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम हो गया। श्री विद्यालंकार।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं तथा समझता हूं कि इसको काफी पहले पेश किया जाना चाहिए था। इस समय न्यायनिर्णय में बहुत देर लगती है जिसके फलस्वरुप उद्योग में कभी भी शांति नहीं रह पाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को दृढ़ता से इस पर विचार करना चाहिए जिससे विवाद शीघ्र समाप्त हो जाये।

न्याय निर्णय व्यवस्था को कुशल बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में जो भी निर्णय हो उसको तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। मैं ऐसे कई मामले जानता हूं जिनमें फैसला होने के बाद भी उसको लागू नही किया गया है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो मालिक फैसले को लागू न करे उसको दण्ड देना पडे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Deputy Speaker, There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम हो गया। श्री विद्यालंकार अपना भाषण जारी रखें।

श्री अ० ना० विद्यालंकार: अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त अस्पतालों, शिक्षा संस्थाओं आदि के कर्मचारियों के बारे में कह रहे थे। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि इनके विवाद हल करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था शीघ्र लागू करनी चाहिए।

इस समय 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कार्मिक संघों में शामिल नहीं हैं। इसका क्या कारण हैं। कुछ कर्मचारियों से मैंनें पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इन संघों में राजनीति इतनी घुस गई है कि इनसे विवाद हल होने के बजाये और उलझ जाते है। इसलिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिससे सभी कर्मचारी संघों के सदस्य हो जायें।

मैं कर्मचारी द्वारा स्वयं मामला सौंपने के उपबन्ध का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि पदच्युति आदि के मामले ही नहीं अपितु विलम्बन आदि के मामले भी इसके अन्तर्गत आने चाहिए। इस के अतिरिक्त पदोन्नति रोकने, वेतन वृद्धि रोकने के मामले भी इसके अन्तर्गत आने चाहिए। इस विधेयक मे इस संबंध में उपबन्ध किए जाने चाहिए।

दण्ड संबंधी खण्ड का भी मैं स्वागत करता हूं परन्तु चाहता हूं कि "पहला दण्ड मिलने के बाद" शब्द उसमें से निकाल दिए जायें। मैं यह भी समझता हूं कि जो 200 रुपये की व्यवस्था रखी गई है इस में से कुछ भाग कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्मचारी को उस राशिपर उस तिथि के बाद ब्याज मिलना चाहिए जिस तिथि को कर्मचारी को धनराशि मिलनी चाहिए उसे नहीं मिले।

अन्त में मैं 25 सी नई धारा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें करार करने के बारे में बताया गया है। मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी इसका जिक्र किया है। मैं भी समझता हूं कि इसमें दिए गए शब्दों से कर्मचारी जो रोजगार पाने का इच्छुक है से ज़बरदस्ती यह करार कराया जा सकता है और बाद में आवश्यक होने पर कर्मचारी के अहित में उसका प्रयोग किया जा सकता है। इस लिए इस करार के लिए सुरक्षा होनी चाहिए तथा इस उपबन्ध में सुधार किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री रंगा (चित्तूर): सामान्यतया मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मेरा भी वही मत है जो श्री विद्यालंकार तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त का "करार" के बारे में हैं। मेरा यह सुझाव है कि यह 'करार' श्रम कल्याण अधिकारी अथवा किसी जिम्मेदार अधिकारी के सामने होना चाहिए जिससे मालिक इस उपबन्ध का लाभ उठाकर कर्मचारी को छंटनी का भत्ता न दे।

मुझे प्रसन्नता है कि, ऐसा विधेयक पेश किया गया है जिससे उन कर्मचारियों को संरक्षण मिला है जो अब तक संगठित नहीं थे। आज लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे है जो किसी भी संघ आदि के सदस्य नही हैं। ऐसे कर्मचारियों के संरक्षण के लिए यह विधेयक बहुत अच्छा तथा समयानुकूल है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

इसके अतिरिक्त मेरा भी यह विचार हैं कि छंटनी तथा काम न दिए जाने के भत्ते को एक साथ नही मिलाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Deputy Speaker, Sir, I riseon a point of order. There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय: घंटी बजाई रही है। अब कोरम हो गया है। यह ग्यारहवी बार घंटी बजाई जा रही है। माननीय सदस्यों को इसका ध्यान रखना चाहिए।

श्री रंगा : मैं समझता हूं कि मालिकों को कोई प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। उनको यदि कोई प्रोत्साहन चाहिए तो केवल इतना कि उनपर से कर भार कम किया जाये।

मुझे प्रसन्नता है कि पदच्युति अथवा छंटनी आदि के सभी विवाद अब औद्योगिक विवाद माने जायेंगे। परन्तु हमें इन विवादों को हल करने के लिए निर्णायक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार पर्याप्त कदम उठायेगी जिससे ऐसे मजदूरों जो कार्मिक संघों के सदस्य नहीं है, के मामले शीघ्र तथा सहानुभूतिपूर्वक निबटाये जायेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक पेश किया गया है तथा मैं आशा करता हूं कि सरकार तथा मालिक प्रयत्न करेंगे कि ये असंगठित मजदूरों का ठीकतया उचित संरक्षण देंगा।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। केवल इतना कहना ही मैं पर्याप्त समझता हूं कि मेरा इसको पूर्ण समर्थन है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, Sir, so many times amending Bills are brought before this House in regard Industrial Disputes and everytime it has been said that a comprehensive Bill should be brought forward. But uptil now, no such Bill has been introduced.

I feel that all the problems of the workers can not be solved by this Bill. The most important problem before them is of unemployment. A provision is being made under section 25 C that if an agreement is signed that the worker will not get any compensation or retrenchment. I strongly, oppose this.

In this connection, I want to draw the attention towards the disturbances in the six mills of India United. The workers there were to get their pay on 1st but as before there was a notice that the workers of India United will not get their pay. This is very hard. In these days, how a man can get on without money which is due to them. Therefore I suggest that the Government should take over the management of such mills in their own hands.

Now take the case of those workers who are not permanent though they have put in 14 or 15 years service. We find these workers in municipalities and other departments of the Government. I suggest that Government should make a provision that there should not be more than ten percent workers in any department or factory who are temporary. All workers should be made permanent after one year of service.

There is a provision for conciliation. But no provision has been made that after specified time a Conciliation Officer should submit his report. A provision should be made in this regard. I also want that the workers of hospitals etc. also should be covered by this provision.

An amendment is being made by this bill in regard to those employers who go against the judgement given in the Industrial disputes. I think that there should be provision that the labour department should themselves see to it that the employer implements the judgements. If this department finds that a employer is reluctant to implement them he should be penalised.

In the end I again suggest them a comprehensive bill should be brought forward.

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, विकासशील देशों में संगठित श्रम का महत्व बढता जा रहा है। हमें इसकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि यदि संगठित श्रम भडक जाये तो उसके परिणाम बड़े भयानक हो सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, there is no quorum.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। कोरम हो गया।

डा० सरोजिनी महिषी : औद्योगिक विवाद अधिनियम के कारण भी विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के मजदूर 50 प्रतिशत से अधिक कार्मिक संघों में नहीं आ पायें हैं। इसके अतिरिक्त कृषि मजदूरों को लीजिए। 1961 की जनगणना से मालूम हुआ कि कृषि मजदूरों की भारत में बड़ी संख्या है। मैं नहीं समझती कि हमने बागान मजदूरों, खान मजदूरों को जब इस अधिनियम के अन्तर्गत कर दिया तब कृषि मजदूरों पर इसको क्यों लागू नहीं किया गया। न्यूनतम मजूरी अधिनियम भी इन लोगों पर लागू नहीं किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है तथा मैं आशा करती हूं कि मंत्री महोदय इसकी ओर भी ध्यान देंगे।

औद्योगिक विवाद अधिनियम और अधिक मजदूरों पर लागू किया जा रहा है परन्तु जैसा कि मेरे मित्रोंने बताया इसको अस्पताल, शिक्षा संस्थाओं आदि के मजदूरों पर भी लागू किया जाना चाहिए। यह बड़ा ही अच्छा उपबन्ध है कि कोई मज़दूर स्वयं भी अपना विवाद न्याय-निर्णय के लिए ले जा सकता है।

जहां तक धारा 25 सी का संबंध है मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि मजदूर कोई करार कर ले तो उसको उन 45 दिनों का मुहावजा नहीं मिलेगा जिन दिनों में उसको मालिक ने काम नहीं दिया है। यह बड़ा ही खतरनाक उपबन्ध है। मालिक मज़दूर की नियुक्ती करते समय ही काम पर रखने से पहले यह करार कर सकता है और कह सकता है कि यदि मज़दूर यह करार नहीं करता है तो उसको नौकर नहीं रखेगा। इस प्रकार मालिक इसका नाज़ायज फायदा उठा सकता है और मज़दूर को नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं समझती हूं कि यदि इस विधेयक में कोई त्रुटि रह गई है तो वह दूर की जा सकती है।

समझ में नहीं आता कि मजदूरों को प्रतिकार देने से सम्बन्धित खंड को इतना जटिल क्यों बनाया जा रहा है। विधेयक में अनिवार्य छुट्टी प्रतिकर को छंटनी प्रतिकर से मिलाया गया है। यह मजदूरों के हितों के विरुद्ध है। सरकार को इस सम्बन्ध में अच्छी तरह विचार करना चाहिए और इस उपबन्ध को अधिक सरल बनाना चाहिए ताकि विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट हो जाये।

जहां तक 'बदली मजदूर' का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि जिस मजदूर के बदले में जो कोई भी मजदूर कार्य पर रखा गया हो, उसकी सेवायें उस समय स्वयं ही समाप्त हो जायेंगी जब वह मजदूर अपने काम पर वापस आ जाये जिसके स्थान पर वह रखा है। रेलवे आदि में नैमित्तिक मजदूर के रूप में लोग 8–10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं किन्तु उन्हें न तो स्थायी किया गया है और न ही नियमित बनाने की कोई व्यवस्था की गई है। उन्हें किसी प्रकार की सुविधायें नहीं दी जाती हैं। 'बदली' मजदूर को एक वर्ष से अधिक समय तक काम पर नहीं रखा जाता क्योंकि उसे एक वर्ष से अधिक समय तक काम पर रखने पर वह नियमित मजदूर समझा जायेगा। सरकार यदि नैमित्तिक मजदूरों अथवा 'बदली' मजदूरों को कोई लाभ पहुंचाना चाहती है तो उनके लिये कोई विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। व्याख्या की केवल एक पंक्ति जोड़ देने से उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचेगा।

यह खेद की बात है कि उद्योगों के मालिक कानून का पालन नहीं करते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि कानून की क्रियान्विति कराना अधिक महत्वपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि ऐसे अनेक उद्योगों के मालिक हैं जो न्यायालयों के पंचाटों की उपेक्षा करते हैं। इन पंचाटों को क्रियान्वित कराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कारखाना अधिनियम तथा मजदूर प्रतिकर अधिनियम को कारगर रुप से लागू किया जाना चाहिए।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, विचाराधीन विधेयक सरकार की नीति के अनुसार पुँजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

अनुच्छेद 2 क में मजदूरों को दिये गये संरक्षण पर्याप्त नहीं है। इसमें मजदूर केवल नौकरी से निकाले जाने पर ही विवाद उठा सकता है । इसमें सेवा की और सुविधायें तथा शर्तें भी शामिल की जानी चाहिए। जिससे मालिक मजदूरों को अनुचित ढंग से तंग न कर सकें। इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन तथा एयर इण्डिया के मजदूरों को भी इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में रख रही है। मैं समझता हूं कि केवल इन दो संस्थाओं के कर्मचारियों को ही इस विधेयक के कार्य क्षेत्र में लाना काफी नहीं है। सरकार को चाहिये कि सोलिसीटर अटार्नी कम्पनियों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों के कर्मचारियों पर भी विधेयक लागू करे।

अनुच्छेद 25 क में किया गया उपबन्ध मजदूरों के लिये खतरनाक है। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि अनिवार्य छुट्टी के लिये मजदूरों को दिया जाने वाला प्रतिकर छंटनी प्रतिकर में डाला जा सकता है। इस प्रकार के उपबन्ध से नियोजकों के हाथ मजबूत होते हैं और वे सदैव अपने लाभ के लिये मजदूरों को हानि पहुचायेंगे।

अब मैं 'बदली' मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। बदली मजदूरों अथवा नैमित्तिक मजदूरों को पृथक श्रेणी में रखना उचित नहीं है। कोई भी मजदूर जो लगातार काफी समय से कार्य कर रहा हो उसे नियमित मजदूरों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और उन्हें सभी सुविधायें और संरक्षण दिये जाने चाहिए जो नियमित मजदूरों को दिये जाते हैं।

विधेयक के खंड 6 में उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई नियोजक किसी पंचाट का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध मजदूर अथवा मजदूर संघ मामला न्यायालय में ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं इस उपबन्ध का कोई औचित्य नहीं है। जब निरीक्षकों को प्रवर्तन अधिकारी बनाया जा रहा है, तो उन्हें यह देखना चाहिए कि पंचाटों का ठीक ढंग से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। प्रवर्तन अधिकारियों को पंचाटों का उचित पालन कराने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिए। यदि नियोजक न्यायालय की शरण लेना चाहें तो वे ले सकते हैं किन्तु मजदूरों अथवा मजदूर संघों से इस परेशानी से संरक्षण दिया जाना चाहिए।

औद्योगिक विवाद अधिनियम से हमें बहुत आशायें थी किन्तु वे पूरी नहीं हुई। इस अधिनियम में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किये गये। श्रम मंत्रालय में मजदूर संघों को मान्यता देने आदि मामलों में संतोषजनक कार्य नहीं किया है।

भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम ने अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के भूतपूर्व प्रधान श्री गुरुस्वामी को आश्वासन दिया था कि समझौता अधिकारी की राय के लिये समय-सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार उचित कार्यवाही करेगी, किन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये है। सरकार अपने वचन को भूल चुकी है। यह मामला आज कुछ माननीय सदस्यों ने फिर उठाया है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब हड़ताल की कोई पूर्वसूचना दी जाये तो समझौता अधिकारी द्वारा राय के लिये कोई समय-सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में एक विशेष उपबन्ध किया जाना चाहिए। 1951 में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के तत्कालीन प्रधान श्री जयप्रकश नारायण ने विवादों को निपटाने के लिये कोई स्थायी व्यवस्था कायम करने के सम्बन्ध में तत्कालिन रेलवे मंत्री श्री एन० गोपालास्वामी अय्यंगार से बातचीत की थी। उनकी बातचीत के परिणामस्वरूप व्यवस्था भी कायम करने का निर्णय किया गया था, किन्तु आज तक इस योजना के अन्तर्गत कोई भी न्यायाधिकरण स्थापित नहीं किया गया।

[श्री प्रिय गुप्त]

श्रम उप समिति की बैठक में श्रम मंत्री श्री संजीवय्या ने आश्वासन दिया था कि विवादों को सुलझाने के लिये न्यायाधिकरण को सभी स्तरों पर गारंटी दी जायेगी किन्तु अभी तक यह मामला विचाराधीन है और इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया गया।

रेलवे में काम कर रहे नैमित्तिक मजदूरों को प्रतिदिन दो रुपये से भी कम मजूरी दी जाती है जब कि वे वही कार्य करते हैं जो नियमित मजदूर। ऐसे मजदूर रेलवे में काफी समय से लगातार कार्य कर रहे हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार उन्हें नियमित मजदूर समझा जाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं किया जाता है। सरकार को इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी चाहिए और उन्हें शोषण से संरक्षण देना चाहिए।

यह खेद की बात है कि मजदूरों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार मजूरी नहीं दी जाती है और मजदूरों का शोषण किया जाता है। सरकार मितव्ययता के नाम पर आर्थिक ढांचे को कसने की बात कर रही है। किन्तु यह बात बड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होती है। केवल मजदूर वर्ग को इससे नुकसान पहुंचा है।

सरकार को एक ऐसा उपबन्ध करना चाहिए जिसके अन्तर्गत जब कोई नियोजक नया एकक खोलने के लिये अनुमति मांगे तो उसके लिये यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह सरकार को वचन दे कि वह मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजूरी देगा। यदि कोई नियोजक न्यूनतम मजूरी नहीं दे सकता है तो उसे एकक खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं की है। जब कभी भी मजूरी के लिए आवाज उठाई जाती है तो सरकार मजूरी बोर्ड बनाकर मजूरी में तदर्थ वृद्धि कर देती है। समस्या का यह कोई स्थायी हल नहीं है। सरकार को कानून बनाकर मजदूरों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

प्रशासन को इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वह कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन वृद्धि, चिकित्सा सुविधायें, क्वार्टर, शिक्षा आदि विवादों को सुलझाने के लिये मजदूर संघों अथवा सम्बन्धित मजदूरों से बातचीत करे। निर्धन मजदूरों को विवादों पर खर्च होने वाली रकम के लिये कानून द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : Mr. Deputy Speaker, I surprise that the Bill before the House is being supported even by the well wishers of the workers. In fact the Bill has been drafted to give benefit to the capitalists.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

The provisions in the Bills are such that what apparently seems to provide benefits to the workers have actually been annulled by the subsequent provisos. Thus the provisions in the new section 25C appeared to be very good ; but the subsequent provisos have practically undone its purpose. According to this provision a worker is entitled to get only half of his salary if his services are terminated after 12 months of his service. It will be very easy for an employer to get an agreement signed by the worker and there will hardly be any worker who will be able to get the benefit of this provision. Similarly, the employers will always be able to manipulate in such a way that a casual labourer will never be able to complete 12 months regular service and become entitled for compensation. Government are not giving any facility to the workers by this Bill. Casual labourers are generally thrown out of employment after three months of their service.

Government have made several amendments in the Industrial Disputes Act since 1952, but these amendments have not benefited the working class much. The only way to give benefits to the working class is that they should be made

entitled to have share in the profit with the employers. This will lead to incentive to work and more production. In the absence of such an arrangement, the industrial dispute will continue and no other amendments will solve the problem.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Chairman, before starting my speech, I raise a point of order. There is no quorum in the House.

Mr. Chairman : The bell is being rung. Now there is quorum in the House. The hon. Member may continue.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Chairman, I support this Bill. The provision seeking to bring the Air Lines Corporation and Air India Corporation within the purview of this Act and the proposed amendment by which cases of individual dismissals etc. will also be deemed as industrial disputes, are steps in the right direction.

I would like to say some thing about the condition of workers in Madhya Pradesh. In the labour courts of Madhya Pradesh, the workers are not getting justice as the employers have a hold on these Courts. It will be better if the labour Courts are abolished and the labour disputes are referred to civil courts and the High Court. The Government should also provide legal assistance to the workers so that they may go to the court for the settlement of their disputes.

The penalty of continued breach of settlement or awards of the courts should be further enhanced, so that employers will not dare to ignore these settlements or awards. The minimum fine should be one thousand rupees.

The Act should be made applicable to the workers of hospitals, educational institutions, hotels and municipalities. The Government should bring a comprehensive legislation for this purpose.

The 'badli' worker are thrown out of employment after a year or so without giving them any compensation. In a number of establishments the 'badli' worker are exploited. Government should take some effective steps to ensure that those who work on a regular basis are treated as permanent workers. The inspectors should not be allowed to be influenced by the factory owners.

The contract labour system should be abolished. A scheme for profit-sharing by the workers should also be prepared and introduced.

श्री वारियर (त्रिचूर) : आज देश में बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग है जिनमें एक भी स्थायी मजदूर नहीं हैं। इन उद्योगों में सभी मजदूरों 'बदली' मजदूर कहा जाता है और उन्हें मालिक जब चाहें काम से निकाल सकते है। इन उद्योगों में मजदूरों के नाम की कोई ऐसी सूची नहीं रखी गई है जिससे यह पता लग सके कि अमुक कारखानें में कितने मजदूर स्थायी है और कितने अन्य श्रेणियों के है। सरकार को कानून द्वारा अनिवार्य कर देना चाहिए कि प्रत्येक संगठित उद्योग में चाहे उसमें शक्ति का प्रयोग होता हो अथवा नहीं, जैसे कि संगठित बागान उद्यो में, स्थायी कर्मचारियों की एक सूची रखी जानी चाहिए जिससे इन उद्योग को मजदूरों का शोषण करने का अवसर न मिल सके। इन उद्योगों की स्थायी मजदूरों की संख्या कानून द्वारा निश्चित की जानी चाहिए, तभी बदली मजदूरों के हितों की रक्षा हो सकती है।

अब मैं नैमित्तिक (कैजुअल) मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इन उद्योगों में कई वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को आज भी नैमित्तिक मजदूर इस लिये कहा जाता है क्योंकि छठे महीने के अन्तिम दिन को उनका नाम नामावली से काट दिया जाता है और एक दिन के बाद उन्हें फिर काम पर रखा जाता है। वे इसी प्रकार 10—11 वर्ष तक नैमित्तिक मजदूर के रूप में कार्य करते

[श्री वारियर]

रहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत में मजदूर बहुत सस्ता मिलता है क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत अधिक होने पर वे किसी भी रूप में और किसी मजूरी पर काम करने के लिए तैयार रहते है। इसका अनुचित लाभ न केवल गैरसरकारी उपक्रम उठाते है अपितु सरकार भी उठाती है जो कि समाजवाद की बड़ी बड़ी बातें करती है। अब समय आ गया है जब सरकार तथा जनता दोनों को ही श्रमिकों के न्यूनत्तम अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

कर्मचारियों को दबाने से श्रमिकों को लाभ होगा। लोग इस देश में शोचनीय दशा में भी काम करने को तत्पर है, क्योंकि वे गरीब है, बेकार है। इस दिशा में आज तक सरकार कोई कानन नहीं बना सकी, यह सरकार के लिए लज्जा की बात है। मालिकों को सजा देने का प्रश्न उसी समय आयेगा, यदि न्यायाधिकरण उन्हें दोषी घोषित करेगा। परन्तु कर्मचारियों का क्या बनेगा? सरकार अपनी राशि और जुर्माने की राशि तो वसूल करना चाहती है, परन्तु कर्मचारियों की राशि क्या बनेगी?

मैं इस बात का समर्थन करता हूं जो कि कोई महानुभावों की ओर से कही गयी है कि इस बारे में कोई व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए। यह कानून तो अस्थायी है, इससे कुछ अधिक लाभ होने की सम्भावना नहीं है। अनिवार्य अवकाश के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि 45 दिनों के बाद प्रत्येक श्रमिक की छंटनी की सभी सुविधायें दी जानी चाहिए। सरकार को इनके रास्ते में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। 45 दिन के बाद उन्हें आधी अर्जित मजूरी तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। श्रमिक तो है, परन्तु यदि काम ही न हो तो उनका दोष क्या है। जहां तक बोनस का प्रश्न है, उसके बारे में संसद ने अधिनियम पास कर दिया है। और इस बोनस अधिनियम के पारित होते ही मिलें बन्द होने लग गई थी।

मुझे यह भी कहना है कि जब मजूरी बोर्ड निर्णय देता है तो उन मजूरी बोर्डों को निष्फल बनाने के लिये वही तरीके अपनाये जाते हैं। सभी प्रकार के विवाद नियोजकों द्वारा ही पैदा किये जाते हैं। यदि सरकार भी उनका शिकार हो जाय और उनका समर्थन करे तो श्रमिकों को किससे संरक्षण मिलेगा। अतः मेरा निवेदन यह है कि वास्तविकताओं पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। इससे पूर्व कि साकार श्रम सम्बन्धी व्यापक विधान लाया जाय। इस दशा में यह उल्लेखनीय है कि उन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए जिन पर त्रिपक्षीय सम्मेलन में विचार किया गया था। इसके बाद ही सरकार द्वारा कोई व्यापक श्रम विधान बनाना चाहिए।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर मध्य-दक्षिण) : यह बहुत अच्छा विधान है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि स्थायी श्रम समिति ने इसकी सिफारिश की है। परन्तु इस पर विधेयक को उपबन्धों को बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। यह व्यवस्था की जा रही है कि इसके अन्तर्गत 'इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन' तथा 'एयर इंडिया कार्पोरेशन" को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत लाया जायेगा। यह एक तर्कसंगत बात है। इससे इन निगमों के अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि विशेष श्रमिक तथा उसके नियोजक में विवाद भी औद्योगिक विवाद समझा जायेगा। यह आवश्यक नहीं कि इस विवाद को किसी कार्मिक संघ द्वारा भेजा गया हो अथवा इसके लिए श्रमिकों का समर्थन प्राप्त हो। इससे श्रमिकों को काफी लाभ होगा। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस विषय पर और भी दृष्टिकोण है। क्या ऐसे उपबन्ध स्वीकार करके हम वास्तव में कार्मिक संघों को सामूहिक हित के बारे में निर्णय करने के लिए सहायता कर रहे हैं? हमें उन अन्य दिशाओं को भी देखना चाहिए और उन्हें भी ठीक प्रकार से महत्व देना चाहिए। मैसर्ज धर्मपाल प्रेमचन्द बनाम उस फर्म के कर्मचारी के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की राय का हमें आदर करना चाहिए। उस राय हमें बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हम इस पहलू पर बाद में विचार कर सकते है जब कि हम उस विधेयक में संशोधन करने को तत्पर हो जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 25 क में ऐसे श्रमिकों को प्रतिकर देने के बारे में उपबन्ध किया गया है, जिन्हें कि अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजा गया हो। मेरा विचार यह है कि यह अच्छी बात है और इससे श्रमिकों को काफी लाभ होने की सम्भावना है। मैं इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस धारा के साथ जो परन्तुक जोड़ा गया है उससे इस अधिकार में गम्भीर परिवर्तन हो जाता है। मेरा आग्रह यह है कि इस दिशा की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें श्रमिक और नियोजक के हितों का परस्पर समन्वय होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से उद्योग का हित भी देखा जाना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि आने वाले श्रम कानूनों को भी इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

Shri Bishen Chandra Seth (Eatah) : We find today that the production is not up to the mark. The main cause of this shortage in production is that we are not utilizing the capacity. We have got in our factories. I am of the opinion that in factories where the number of workers is beyond 50, they should be made the partners in the concern. This will give great encouragement to the workers and they will work with speed and devotion.

I urge upon the Government that the matter should not be decided in haste and be given very careful consideration. Workers in factories should be made partners. we should not come with this piecemeal legislation but put up a comprehensive legislation after mature consideration.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : The party in power pluges to establish socialist-pattern of society, but whenever Bill comes before the House, it always goes against the interest of the workers. According to this Bill apparently some concessions have been given to the workers, but ultimately it will be only beneficial to the employers. According to clause 5, a facility is being given on one hand and is withdrawn on the other. Nobody has been able to follow how, the workers are going to be benefitted by that. There is great unemployment in this country, therefore the labour can be made to work under any dishonourable conditions.

I feel that penalty clause is useless. Workers will not be able to take any advantage under this clause. Government should come forward with a comprehensive legislation on the subject. Provision should be made to give some advantage to the workers working in the educational institutions and hospitals.

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho) : This Bill is brought forward by the Government on the advice of the Committee. I am very happy that the Bill has come. It is wrong to say that the workers will not be benefitted by this. This is also very appreciable if the workers are made the partners. If this system is accepted, it will improve the industrial relations. Gradually it will end the industrial disputes and increase production to a very considerable extent.

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : मैं सदन का आभार मानता हूं कि लगभग सभी ने सामान्यतः इस विधेयक का समर्थन किया है। कइयों ने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो संशोधन लाये गये हैं, उन पर भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार किया जा चुका है। इस विचार के पश्चात भी मैं यह कह सकता हूं कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन सबको वर्तमान विधेयक द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसे नहीं किया जा सकता। कुछ भी सुझाव हो परन्तु सरकार तब तक उन्हें नहीं स्वीकार कर सकती जब तक कि वे भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकार नहीं कर लेते। यह बात तो स्वीकार कर ली गयी है कि उक्त सम्मेलन जो भी निर्णय करेगा उसे सरकार को विधान

[श्री र० कि० मालवीय]

के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस बारे में मुझे यह भी निवेदन करना है कि उसके लिए आज की स्थिति में व्यापक विधान लागू कर सकना सम्भव नहीं है। हमारी प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था है, अत: नई स्थिति में हम केवल संशोधन विधेयक ही प्रस्तुत कर सकते हैं। अत: जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं वे प्राय: उचित ही हैं और आवश्यक भी। व्यापक विधेयक से समस्यायों के हल हो जाने की सम्भावना नहीं है।

और दिशाओं में भी इस विधेयक को लागू करने की बात कुछ माननीय सदस्यों ने की है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि अस्पतालों, होटलों तथा नगरपालिकाओं के कर्मचारियों पर पहले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है। शिक्षा संस्थाओं की बात की गयी है। उनके बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में उच्चतम न्यायालय से मत व्यक्त किया गया है कि यह क्यों नहीं उन्हें दी जानी चाहिए। मैं फिर यह कहता हूं कि इसके बावजूद भी जब भी सम्मेलन इसका कोई हल निकालेगा तो इसके लिए अवश्य कोई संशोधन प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

कृषि श्रमिकों का जहां तक सम्बन्ध है, हमने पहले ही एक विधान, अर्थात न्यूनतम मजूरी अधिनियम बनाया है। श्रमिकों की इस सम्बन्ध में शिकायतें इसके अन्तर्गत हल करने का प्रयास किया जाता है। इसे मैं स्वीकार करता हूं कि अनिवार्य अवकाश के लिए प्रतिकर सम्बन्धी उपबन्ध पर विचार श्रमिकों की कठिनाइयों की दृष्टि में किया जाना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKEK *in the Chair*]

मैं श्रमिकों की कठिनाइयों को समझता हूं। अत: ऐसे मामले हैं जहां गरीब श्रमिकों को अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया है और उन्हें अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी प्रतिकर अथवा छंटनी प्रतिकर नहीं दिया गया है। इस दिशा में यह भी आशा की जाती है, जहां पर श्रमिक संघ शक्तिशाली होंगे, वहां मालिक बहुत ज्यादा शरारत नहीं कर सकते। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ठेका प्रणाली को समाप्त कर इसे नियमित बनाने के बारे में विधान लाने पर विचार कर रही है।

विवादों को निपटाने के बारे में जो देरी हो जाती है, उस पर भी विचार किया गया है। हम दो और न्यायाधिकरण स्थापित कर रहे हैं। एक कलकत्ता में और एक जबलपुर में स्थापित हो रहा है। जब दो और न्यायाधिकरण स्थापित हो जायेंगे तो स्थिति काफी सरल हो जायेगी और इन विवादों को निपटाने में बहुत कम देर लगा करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 2 से 4 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 2 to 4 were added to the Bill.*

खण्ड 5

श्री वारियर : मैं संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री र० कि० मालवीय : इस बारे में उपबन्ध किया गया है।

श्री वारियर : मैं संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।/*Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा तथा अस्वीकृत हुआ।/*Amendment No. 2 was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*Motion was adopted.*

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 5 was added to the Bill.*

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—
"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 6 was added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री र० कि० मालवीय : मैं प्रस्ताव करता हूं :—
"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री वारियर : यह अच्छा है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि जरूरत हुई तो और संशोधन कर लिये जायेंगे। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर सरकार को एक नये दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।

श्री प्रिय गुप्त : पाकिस्तानी आक्रमण के कारण जिन लोगों को हानि पहुंची है, उनके मामलों का सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाय। जिन लोगों का काम छुट गया है, उन्हें काम दिया जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I want to urge that a worker be allowed to make a fresh statement whenever he appears before the industrial Court. Also the ordinary dispute, should go to the ordinary Civil Courts and not to the industrial Court.

Shri R. K. Malaviya : As everybody knows this, that much time is taken by the Civil Courts to decide the cases, therefore the provision of industrial courts have been done. Therefore it has been thought fit, to have other courts for this purpose. This will not be in the interests of the labourer. As far as appeals are concerned the appeal can be filed against the decision of the Tribunal in the Supreme Court.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 12 नवम्बर, 1965/21 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, November 12, 1965/Kartika 21, 1887 (Saka).

भा०स०मु०—से 1—48 लोकसभा/65—17-8-66—600